2255-86
24/1/12

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/EC/862-IV/2255 दिनांक :24 दिसम्बर, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2012 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2012 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: संविदा पर जीप/कार/बोलेरो किराये पर आपूर्ति के कम में प्राप्त एकल निविदा के संबंध में।

प्राधिकरण में बोलेरों जीप एवं इण्डिका कार किराए पर लेने के लिए निविदाए निविदा सं. पूर्व(पूल)02/2012–13 दिनांक 20.09.2012 के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए आमन्त्रित की थी। वाहन तेल व वाहन चालक प्रतिमाह दर चाही गई थी।

1– श्री मनीराम चौधरी निवासी–आसोप द्वारा इण्डिका कार की किराए की दर 16300/– प्रतिमाह (1500 किलोमीटर के लिए) व अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 5.95 पैसे प्रति किलो मीटर दी। नेगोशिएशन कराने पर 16000/– प्रतिमाह व अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 5.90/– पैसे प्रति किलोमीटर की दर दी।

2– मैसर्स श्रवण कुमार शर्मा, जोधपुर द्वारा जीप/बोलेरो के किराए की दर 17500/– प्रतिमाह (1500 किलोमीटर के लिए) व अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 7 रूपये प्रति किलोमीटर दी। नेगोशियशन कराने पर दर 17200/– प्रतिमाह व अतिरिक्त कि.मी. की दर 6 रूपये प्रति किलोमीटर दी।

वित्त विभाग, राज. जयपुर के आदेश संख्या एफ–9(1)एफ.डी. 1(1)बजट/2012 दिनांक 10.02.2012 के अनुसार किराए पर लेने के वाहनों की दरें 1500 किलोमीटर तक प्रतिमाह 15000/– व अतिरिक्त किलोमीटर की दर 6/– रूपये प्रतिमीटर निर्धारित है। उपरोक्त दरों से अधिक भुगतान करना संभव न होने से एकल निविदादाताओं कों काऊण्टर ऑफर देने के लिए कहा गया।

दोनो संवेदकों ने वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दर 15000/– प्रतिमाह (1500 किलोमीटर तक के लिए) व अतिरिक्त किलोमीटर के लिए श्री मनीराम चौधरी द्वारा 5.90/– पैसे

प्रति किलोमीटर (जो वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर 6/– रूपये से कम है) व मैसर्स श्रवण कुमार शर्मा ने वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर 6/– रूपये प्रति किलोमीटर की दर दी है।

वित्त विभाग द्वारा किराए पर लेने के वाहनों की दरों के अनुसार दरे प्राप्त हो गई है व निविदा जारी करने पर, एकल निविदा ही प्राप्त हुई है। इस कारण इसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: न्यास कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा सुविधा बाबत।

शासन उप सचिव (द्वितीय), नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प. 1(28)नविवि/द्वितीय/98 दिनांक 14.09.2012 प्रेषित कर नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों के सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों को चिकित्सा पुर्नभरण किये जाने के संबंध में वर्तमान व्यवस्था और इस विषय में कोई प्रस्ताव हो तो भिजवाये जाने की व्यवस्था हेतु लिखा है।

अतः इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों को चिकित्सा पुर्नभरण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रचलित नियमों का अंगीकार किया है और प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है। अतः सेवानिवृत्ती पश्चात् चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में भी जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा पुनर्भरण किये जाने की व्यवस्था कर ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: नवीन पद सृजन बाबत।

अंकेक्षण विभाग द्वारा बार–बार आक्षेप गठित कर स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिक पदस्थापित कर्मचारियों की सक्षम स्वीकृति बाबत् लिखा जा रहा है।

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	अधिक पदस्थापित
1.	निजी सचिव	01	02	01
2.	इलैक्ट्रीशियन	02	04	02
3.	पम्प ऑपरेटर	00	02	02
4.	वायरमैन	00	04	04

1– माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए निजी सचिव का पद नवसृजित करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि अंकेक्षण विभाग द्वारा गठित आक्षेप का निस्तारण करवाया जा सकें। वर्तमान में 2 पद निजी सहायक व 6 स्टेनो के स्वीकृत है, जो रिक्त चल रहे हैं।

2– प्राधिकरण में इलेक्ट्रीशियन के दो स्वीकृत पदों के विरूद्ध 4 कार्मिक कार्यरत है। तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर के आदेश क्रमांक स्था./97/117 दिनांक 13.05.1997 के अन्तर्गत निम्न कार्मिकों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के मध्य नजर इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदौन्नति प्रदान की गई, क्रमशः श्री चांदरतन भाटी, 2. श्री गोरधन मेघवाल एवं 3. श्री मानाराम

चौधरी, इसी तरह तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर के आदेश क्रमांक 176–186 दिनांक 14.08.1991 के द्वारा श्री भंवरसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह को इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–द्वितीय के रिक्त पद पर पदौन्नति प्रदान की गई।

इलेक्ट्रीशियन के दो पद नवसृजित करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि अंकेक्षण विभाग द्वारा गठित आक्षेप का निसतारण करवाया जा सके। वर्तमान में जोधपुर शहर में लगी विभिन्न स्ट्रीट लाईट नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है और शास्त्रीनगर सर्कल, महावीर उद्यान आदि का संधारण एवं रखरखाव का कार्य अनुबन्ध पर दिया जा चुका है। संबंधित शाखा द्वारा उक्त कार्मिकों के पदों की प्राधिकरण में आवश्यकता का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

3– प्राधिकरण में पम्प ऑपरेटर के शून्य स्वीकृत पद के विरूद्ध दो कार्मिक कार्यरत है। क्रमशः 1. श्री जयसिंह सांखला को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट संख्या 1752/93 में दिये गये निर्णय दिनांक 06.05.1999 की पालना में श्री जयसिंह सांखला को दिनांक 26.03.1993 से पम्प ऑपरेटर की वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई है। श्री कमलेश छंगाणी को माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या एस.बी. 1608/90 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22.10.1992 की पालना में पम्प ऑपरेटर पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

पम्प ऑपरेटर के दो पद नवसृजित करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि अंकेक्षण विभाग द्वारा गठित आक्षेप का निस्तारण करवाया जा सकें।

4-- प्राधिकरण में वायरमैन के शून्य स्वीकृत पद के विरूद्ध चार कार्मिक कार्यरत है। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1127/06 श्री गोरधन मेघवाल व अन्य बनाम राज्य के वाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2008 की पालना में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 2954–60 दिनांक 21.08.2011 के द्वारा 3 कार्मिकों क्रमशः 1. श्री सोहनसिंह पंवार 2. श्री अचलसिंह सिसोदिया एवं 3. श्री घीसाराम प्रजापत को वायरमैन के पद पर दिनांक 13.05.1997 से पदौन्नति प्रदान की गई। श्री भोलाराम को माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 4926/90 के निर्णय दिनांक 28.05.1991 की अनुपालना में वायरमैन द्वितीय के पद का वेतन स्वीकृत किया गया। जबकि न्यास सेवाकाल वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण में वायरमैन के पद स्वीकृत नहीं है। फलस्वरूप अंकेक्षण विभाग द्वारा निरन्तर आक्षेप गठित किया जा रहा है। वायरमैन के चार पद नवसृजित करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि अंकेक्षण विभाग द्वारा गठित आक्षेप का निस्तारण करवाया जा सके।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पदों के नवसृजन हेतु प्रस्तावित पदों की आवश्यकता के औचित्य का आंकलन उप सचिव (प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा), वरिष्ठ लेखाधिकारीगण एवं अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत की समिति द्वारा किया जावे एवं उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार उक्त पदों के सृजन की प्राधिकरण के कार्यों की दृष्टि से आवश्यकता प्रतीत होती है तो पदों के नवसृजन के प्रस्ताव आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् भिजवाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति बाबत।

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति के निम्नांकित प्रकरण प्राधिकरण को प्रेषित कर नियुक्ति दिलवाने का निवेदन किया है :–

क्र. सं.	आवेदनकर्त्ता मृतक आश्रित का	आवेदित पद	शैक्षणिक योग्यता	विशेष विवरण

	नाम			
1.	श्री दिलीपसिंह	कनिष्ठ लिपिक	उ.मा. परीक्षा उत्तीर्ण	सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त
2.	श्री सुरेन्द्र व्यास	कनिष्ठ लिपिक	उ.मा. परीक्षा उत्तीर्ण	सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त
3.	श्री मो. आरिफ	सहायक कर्मचारी	8वीं उत्तीर्ण	–
4.	श्री मुकेश	सहायक कर्मचारी	चौथी कक्षा उत्तीर्ण	–
5.	श्री रतन	सहायक कर्मचारी	छठवी कक्षा उत्तीर्ण	–

माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, (क–2) विभाग, राज. जयपुर का परिपत्र क्रमांक प. 5(51)कार्मिक/क–/88 पार्ट दिनांक 19.08.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु अभियार्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वारा सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्युटर योग्यता किये जाने की अर्हता होना अनिवार्य है। उक्त कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी अर्थात् बिना कम्प्युटर की योग्यता के प्रथमतः अनुकम्पात्मक नियुक्ति तो दे दी जायेगी, लेकिन नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष में कम्प्युटर कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। श्री दिलीपसिंह ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदनप किया है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर में कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त हैं। अतः उन्हें नगर विकास न्यास, बीकानेर में नियुक्ति प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जावे।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रकरण नगर विकास न्यास, बीकानेर को प्रेषित किये जावे तथा राज्य सरकार को निवेदन किया जावे कि उक्तानुसार प्रकरण नियुक्ति हेतु नगर विकास न्यास, बीकानेर एवं अन्य नवसृजित कार्यालयों को भिजवाया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव संख्या 6 :: वर्ष 2011–2012 के लिए प्राधिकरण कार्मिकों को दीपावली त्यौहार के अवसर पर बोनस/एक्सग्रेसिया भुगतान तथा समस्त कार्यरत् (नियमित कार्मिक/ अधिकारी) को उपहार राशि व मिठाई राशि भुगतान के अनुमोदन बाबत।

जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए कार्मिकों को (जिनकी GP-5400 रू. से कम है) दीपावली त्यौहार के अवसर पर बोनस/एक्सग्रेसिया का भुगतान रूपये 8400/– तथा समस्त कार्यरत (नियमित कार्मिको/अधिकारियों) को रूपये 5100/– उपहार राशि एवं रू. 600/– मिठाई के लिए भुगतान किये गये।

प्राधिकरण द्वारा किये गये उक्त भुगतान के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 4 में ई.डब्लू.एस एवं एल.आई.जी. श्रेणी की निकाली गयी लॉटरी में आवंटित आवासगृह की राशि जमा नहीं कराने के संबंध में।

नगर विकास न्यास, (जो.वि.प्रा.) जोधपुर, द्वारा दिनांक 14.07.2011 को अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 4 में ई.डब्लू.एस एवं एल.आई.जी. श्रेणी की लॉटरी निकाली गई थी। सफल आवेदकों के आवंटन–पत्र जारी किये गये कुछ आवेदकों के आवंटन पत्र पुनः कार्यालय में लौट कर प्राप्त हो चुके हैं एंव कुछ आवेदकों द्वारा आंवटन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी प्रोविजन आंवटन पत्र के अनुसार राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई जो निम्नानुसार है :–

ई.डब्लू.एस

क्रं.सं.	नाम/पिता का नाम	फलेट संख्या	आवेदक की श्रेणी	प्रोविजन आवंटन पत्र क्रमांक दिनांक से जारी किया गया	विवरण
1	श्रीमती आनन्द कुमारी पत्नि श्री अभय सिंह राठौड	E 20&02	सामान्य	467–23.08.2011	कार्यालय में पुनः कोरियर एंजेन्सी द्वारा लौटाये गये।
2	श्री जसराज सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह	E 53&201	सामान्य	452/23.08.2011	कार्यालय में पुनः कोरियर एंजेन्सी द्वारा लौटाये गये।
3	श्री प्रेमाराम पुत्र श्री बाबुराम	E 43&302	अनुसुचित जन जाति	39/23.08.2011	कार्यालय में पुनः कोरियर एंजेन्सी द्वारा लौटाये गये।
4	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री आलम चंद	E 10&01	सामान्य	177/23.08.2011	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.12 को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी ने आवंटन पत्र जारी करनें की मांग की हैं।
5	श्री मगा राम पुत्र श्री उतमाराम	E 40&202	सामान्य	466/24.08.2011	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.12 को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी ने आवंटन पत्र जारी करनें की मांग की हैं।
6	श्री धन्नाराम पुत्र श्री रमचंद्र राम	E 27&104	अनुसूचित जन जाति	13/23.08.2011	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.12 में आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण एवं जैसलमेर का होनें के कारण समय पर राशि नहीं जमा करवा सका।

7	श्री जगदीश कुमार चौधरी पुत्र श्री विश्नाराम चौधरी	E 15&304	सामान्य	647/26.08.2011	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.12 को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि मुझे आवंटन पत्र 20.10.11 को प्राप्त हुआ है।
8	श्री राम कुँवार जोशी पुत्र श्री राम नारायण जोशी	E 18&03	सामान्य	410/24.08.2011	प्रार्थी का प्रार्थना देनांक 25.10.12 को हुआ जिसमें प्रार्थी ने त पत्र जारी करनें की ी हैं।
9	श्री महेन्द्र सिंह स्वर्गीय चैन सिंह	E 53&304	सामान्य	341/23.08.2011	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.12 को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी ने आवंटन पत्र जारी करनें की मांग की हैं।
	कुल				15

<u>एल.आई.जी</u>

1	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री चैन सिंह	L 02&03	सामान्य	943–23.08.2011	कार्यालय में पुनः कोरियर एंजेन्सी द्वारा लौटाये गये।
2	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामलाल माली	L 12&204	सामान्य	1148–23.08.2011	कार्यालय में पुनः कोरियर एंजेन्सी द्वारा लौटाये गये।
3	श्री अंकित गहलोत पुत्र श्री रामप्रताप गहलोत	L 12&301	सामान्य	1120–23.08.2011	कार्यालय में पुनः कोरियर एंजेन्सी द्वारा लौटाये गये।

उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णेयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त तालिका (ई.डब्ल्यू.एस.) व एल.आई.जी. में कम संख्या 1 से 3 में उल्लेखित प्रकरणों के दुबारा रजिस्टर्ड डाक से आवंटन–पत्र भिजवाये जावे तथा शेष प्रकरणों में आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से निपयमानुसार ब्याज व शास्ति की गणना नियमानुसार करते हुए कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: श्री मनीष जैन पुत्र श्री कैलाश जैन को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एफ.27 के संबंध में

श्री मनीष जैन पुत्र श्री कैलाश जैन को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा एफ–27 (12.5 X 22) = 275 वर्गमीटर आवंटित हुआ। आवेदक द्वारा स्वयं की आय का प्रमाण–पत्र 25000/– रूपये प्रतिमाह का आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया है। आवेदक द्वारा

30001/– से 45000/– रूपये तक की आय वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया तथा उसी आय वर्ग के अनुसार ही उनको लॉटरी में भूखण्ड आवंटन हुआ। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.11.2011 को आयकर विवरण–पत्र जिसमें वार्षिक आय 458026/– का प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार आवेदक की मासिक आय 35671/– रूपये होनी दर्शाई है तथा आवेदक द्वारा आवंटित भूखण्ड की मांग की है तथा इन्हे आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया। इस बाबत् प्रकरण कार्याकारी समिति बैटक दिनांक 17.02.2012 मे रखा गया जिसमे निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण प्राधिकरण बैठक मे रखा जावें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव सं 9(3) मे आय कर रिर्टन के अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदन कर आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रकरण कम/अधिक आय दर्शाने से सबधित है राजीव गाधी योजनामे इसी प्रकार के प्रकरणो मे विभिन्न न्यायालयो मे जवाब/शपथ पत्र इस आश्य के प्रस्तुत किये है कि कम/अधिक आय वाले प्रकरणो का नियमितिकरण प्राधिकरण मे बैठक दिनाक 21.10.2010 के अनुपालना मे भी इस प्रकार के प्रकरण निरस्त किये गये है। अतः सभी निर्णय एक प्रकार के प्रकरण मे एक सम्मान नितिगत निर्णय लिया जाने हेतु निर्देशक (विधि) द्वारा भी उचित हेतु निर्देर्शित किये है तथा प्रकरण प्राधिकरण/कार्यकारिणी समिति प्रस्तुत करने हेतु बैठक मे प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये है। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक में विभिन्न समान प्रकृति के प्रकरणों में समान मापदण्ड रखते हुए निर्णय के लिए पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: श्री पूरणमल जोशी को भूखण्ड के बदले राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

1. आवेदक का विवरण : आवटी पूरणमल जोशी पुत्र श्री बछराज जोशी
2. आंवटन का विवरण योजना का नाम भूखण्ड सख्या व आकार :
   भूंखण्ड सख्या 05 चौका लहरिया रिर्सोट के पास जोधपुर भूखण्ड की साईज 50X90–418.05व.मी 3. आंवटन कंमाक व दिनाक : 07.02.2006 नीलामी से
4. आंवटी को दिया गया कब्जा का अकंन : नही
5. लीज डीड जारी होने का विवरण : नही
6. आंवटी को कब्जा नही दिये जाने का कारण : भूखण्ड पर अतिक्रमण होने के कारण
7. कब्जा सुपुर्दी के लिए किये गये प्रयास का विवरण : उल्लेख नही
8. अन्य योजना मे शिफट करने का कारण : उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से इसके बदले में राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतू प्रकरण आवंटन शाखा पश्चिम में प्राप्त हुआ। प्राधिकरण बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय लिया गया है कि नीलामी में दिये गये भूखण्ड के स्थान पर समीपवर्ती राजीव गाधी नगर योजना में भूखण्ड क्रेतागण लेने से इच्छुक नही है तो जमा राशि में 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर से लौटायी जावे। क्रेता गण ने को राजीव गांधी नगर योजना में इस माप का कोई भूखण्ड नही होने से इसी योजना में सेक्टर 'ए' कोर्नर में भूखण्ड संख्या 106 व 129 लेने हेतु सहमति दी है। इन दोनो का क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में क्रेता को नियमानुसार अधिक क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर दुगनी से जमा करवानी होगी। उक्त दोनो भूखण्ड कोर्नर भूखण्डो में से उपलब्ध है। जिस पर उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति/प्राधिकरण बैठक में रखने हेतू निर्देश दिये है।

9. योजना जिसमे शिफट किये जाने का प्रावधान किया गया तथा दोनो योजनाओ का तुलनात्मक आरक्षित दर का विवरण इन दोनो का क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में क्रेता को नियमानुसार अधिक क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर दुगनी से जमा करवानी होगी।

10. सम्बधित योजना जिसमे शिफट होना है उसमे समान आकार के भूखण्डो का विवरण राजीव गांधी नगर आवासीय योजना ग्राम चौखा।

11. उपायुक्त की स्पष्ट अनुशंसा/टिप्पणी अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 अप्रैल, 2012 के प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार ऐसे आवंटी एवं सफल बोलीदाता जिनको तत्कालीन न्यास/प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के कब्जा विधिक कारण या अतिक्रमण होने के कारण सुपुर्द नहीं किये जा सके हैं, को बदले में यदि वे राजीव गांधी नगर आवासीय योजना के सेक्टर सी व डी में भूखण्ड आवंटन के इच्छुक है तो सेक्टर सी व डी में भूखण्ड आवंटन किया जावे। उक्त निर्णय अनुसार उपायुक्त–पश्चिम द्वारा समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जावे कि ऐसे इच्छुक आवंटी अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2013 तक प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। यदि उक्त तिथि तक आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो ऐसे आवंटी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटायी जावे। प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध किया जाकर राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में उक्त प्रस्ताव अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: श्री अल्लानूर पुत्र श्री अनवर अली अंसारी को ओ.बी.सी.टी. योजना में भूखण्ड के बदले भूखण्ड आवंटन बाबत।

1– आवेदक का विवरण : आवटी श्री अल्ला नूर पुत्र श्री अनवर अली अंसारी
2– आंवटन का विवरण योजना का नाम भूखण्ड सख्या व आकार : अवाप्त भूमि के बदले दुकान नं. 19 स्टेडियम शोपिग सेन्टर योजना के बदले मे भूमि
3– आंवटन कंमाक व दिनाक : अवाप्त भूमि के बदले भूमि
4– आंवटी को दिया गया कब्जा का अकंन : नही
5– लीज डीड जारी होने का विवरण : नही
6– आंवटी को कब्जा नही दिये जाने का कारण : अवाप्त भूमि के बदले भूमि
7– कब्जा सुपुर्दी के लिए किये गये प्रयास का विवरण : उल्लेख नही
8– अन्य योजना मे शिफट करने का कारण : श्री अल्ला नूर पुत्र श्री अनवर अली अंसारी को ओ.बी.सी.टी. योजना में मकान नं. 279 अधिग्रहण किया गया था जिसके बदले में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 4 में अवाप्त की गई भूमि की एवज में राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन हेतू निर्णय लिया गया है कि जिस पर प्रार्थी ने सहमति दी है पत्रावली में व्यवसायिक भूखण्ड का नाप अंकित नही है। तथा इस संबंध में मूल पत्रावली न होकर प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर पत्रावली निर्मित की गई है। प्राधिकरण की बैठक में भूखण्ड की श्रेणी/दर का उल्लेख नही किया गया है। इस हेतू विधिक राय ली गई। निदेशक विधि द्वारा अपनी टिप्पणी में लिखा है कि प्राधिकरण की निर्णयानुसार प्रार्थी को भूखण्ड दिया जाना है जहां तक भूखण्ड की श्रेणी/दर का प्रश्न है, प्राधिकरण की बैठक में यह निश्चित किया जा सकता है एवं दर के संबंध में उल्लेख किया है कि ओ.बी.सी.टी. योजना में जो दर परचलित है व इतनी अधिक है उसकी तुलना अन्य स्कीम से नही की जा सकती है। अतः प्रार्थी को जिस जगह भूखण्ड दिया जा रहा है। उसकी प्रचलित आरक्षित दर ही

वसूल किया जाना उचित होगा। यह बिन्दु भी प्राधिकरण की बैठक में निर्णित कराया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारणी समिति बैठक में रखने हेतू निर्देश दिये है।

9– योजना जिसमे शिफट किये जाने का प्रावधान किया गया तथा दोनो योजनाओ का तुलनात्मक आरक्षित दर का विवरण : नही

10– सम्बधित योजना जिसमे शिफट होना है उसमे समान आकार के भूखण्डो का विवरण राजीव गांधी नगर आवासीय योजना ग्राम चौखा।

11– उपायुक्त की स्पष्ट अनुशंसा/टिप्पणी अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया कि इस संबंध में उपायुक्त–पश्चिम अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरण सचिव के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: श्री फारूख गौरी पुत्र श्री अब्दुल जलील गौरी को भूखण्ड संख्या 235 ए सरस्वती नगर के बदले राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

1– आवेदेक का विवरण : आवटी श्री फारूक गौरी पुत्र श्री अब्दुल जलील

2– आंवटन का विवरण योजना का नाम भूखण्ड सख्या व आकार :
न्यास बैठक 15.09.2000 के प्रस्ताव सं.02 मे भूखण्ड सं. 235 ए सेक्टर सी सरस्वती नगर क्षैत्रफल 194.82 वर्गमीटर आंवटन की स्वीकृती प्रदान की थी

3– आंवटन कंमाक व दिनाक : नही

4– आंवटी को दिया गया कब्जा का अकंन : नही

5– लीज डीड जारी होने का विवरण : नही

6– आंवटी को कब्जा नही दिये जाने का कारण : ओ.बी.सी.टी योजना मे अवाप्त भूमि के बदले भूमि

7– कब्जा सुपुर्दी के लिए किये गये प्रयास का विवरण : उल्लेख नही

8– अन्य योजना मे शिफट करने का कारण : श्री फारूख गौरी पुत्र श्री अब्दुल जलील गौरी को को भूखण्ड संख्या 235 ए सरस्वती नगर आवंटन किया गया था। जो भूखण्ड अन्य को आवंटित होने पर इसके बदले में प्राधिकरण बैठक दिनांक 23.04.2012 प्रस्ताव संख्या 11 में निर्णय लिया गया है कि आवेदक को राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के इच्छुक हो तो सहमति प्राप्त कर भूखण्ड आवंटन किया जावे। पूर्व में न्यास द्वारा 194.82 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटन किया गया था। तथा वर्तमान में इन्हें किस साईज का एवं किस दर पर आवंटन किया जाना है जिसका बैठक में कोई उल्लेख नही है। तथा वर्तमान में राजीव गांधी नगर योजना निरस्त भूखण्डो में 162 वर्ग मीटर का भूखण्ड उपलब्ध है। अतः सम्बन्धित को आवंटित भूखण्ड आरक्षित दर के सम्बन्ध में उचित निर्णय हेतू प्रकरण कार्यकारणी समिति बैठक में रखने हेतू निर्देश दिये है।

9– योजना जिसमे शिफट किये जाने का प्रावधान किया गया तथा दोनो योजनाओ का तुलनात्मक आरक्षित दर का विवरण प्राधिकरण की बेठक मे भूखण्ड कि साइज/आवटंन दर के बारे मे निर्णय नही है अतः किस साईज का भूखण्ड आवटीत करना हैं। तथा किस दर से किया जाना है।

10– सम्बधित योजना जिसमे शिफट होना है उसमे समान आकार के भूखण्डो का विवरण राजीव गांधी नगर आवासीय योजना ग्राम चौखा।

11– उपायुक्त की स्पष्ट अनुशंसा/टिप्पणी अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया कि इस संबंध में उपायुक्त–पश्चिम अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरण सचिव के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: राजस्व ग्राम चौखा खसरा संख्या 697, 698 व 700 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे जारी करने के संबंध में।

शासन उप सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र कमांक प.3 (152) नविवि/3/2012 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री दीपेश माथुर निवासी जोधपुर से प्राप्त अभ्यावेदन (राजस्व ग्राम चौखा खसरा संख्या 697, 698 व 700 कुल रकबा 19 बीघ 17 बिस्वा भूमि पर धारा 90–बी निर्णय दिनांक 26 अगस्त, 2008 के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जाने के संबंध) इस कार्यालय को प्रेषित कर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में दायर वाद वापिस किए जाने की शर्त पर विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के संबंध में जारी दिशा–निर्देश कमांक प.3 (54) नविवि/3/2011 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के प्रावधान अनुसार उक्त प्रकरण में पट्टे जारी करने के संबंधा में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करते हुए की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराने के निर्देश प्रदान किये है। राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के अनुसार आवेदक उनके द्वारा न्यायालय में दायर वाद वापस लेने के लिए सहमत है। प्रकरण में निर्णय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा खातेदारी दिये जाने का आदेश वर्ष 2008 में जारी किया गया था। जिसे प्राधिकरण या अन्य के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

इस संबंध में पत्रावली के पैरा संख्या एन/46 से 51/एन में उपायुक्त, सचिव एवं निदेशक–विधि की रिपोर्ट उपलब्ध है। जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये हैं। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा सरकारी भूमि मानते हुए भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी विस्तार के लिए सेट अपार्ट किये जाने के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा बहाल रखा गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक श्री दीपेश माथुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि सेट अपार्ट किये जाने के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा नगर विकास न्यास, जोधपुर के पक्ष में बहाल रखा गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है। अतः प्रकरण में वर्तमान में कोई भी कार्यवाही किया जाना उचित नहीं माना गया। प्रार्थी का आवेदन खारिज करते हुए उक्त अनुसार रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: अरिहन्त सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को भूमि आंवटन के संबंध में।

अरिहन्त सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अशोक भंवर लाल छाजेड पुत्र श्री भॅवरलाल छाजेड द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत ग्राम गंगाणा के खसरा

संख्या 227/9, 213/2 व 228 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा ग्रुप हाऊसिंग (एकल भूखण्ड) का ले–आऊट प्लान नियमन कर पट्टा जारी किया गया। स्वीकृत ले–आऊट प्लान में पॉलिसी फोर रेजीडेंसियल ग्रुप हाऊसिंग एण्ड अदर स्कीम्स इन द प्राईवेट सेक्टर 2010 (अप टू 10 हैक्टेयर) के प्रावधानों में बिन्दु संख्या 5.03 (iii) के अनुसार ग्रुप हाऊसिंग में 2 हैक्टेयर से अधिक पर 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि समर्पित हो चुकी है। उक्त पॉलिसी के प्रावधान 5 के अन्तर्गत टेबल 'बी' के बिन्दु संख्या 2 (4) में आरक्षित दर पर आवंटन का प्रावधन है। उप शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शसन विभ्झाग के पत्रांक प. 10 (7) नविवि/3/2009 पार्ट–1 जयपुर दिनांक 3 मई, 2012 के अनुसार विकय योग्य सुविध क्षेत्र की 5000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्ता को आवंटित किया जा सकेगा बशर्ते की आवंटन की तिथि से विकासकर्ता को एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारम्भ करना होगा। प्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि राज्य सरकार के नवीनीतम परिपत्र व दिशा निर्देशों के अनुसार विकासकर्ता को सुविधाएं विकसित करने के लिए उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री बाबूलाल पुत्र श्री किशन लाल को वाम्बे योजना में आवासगृह आवंटन के संबंध में।

श्री बाबूलाल पुत्र श्री किशनलाल द्वारा वाल्मिकी अम्बेडकर मलीन बस्ती आवासीय योजना में आवेदन कमांक 3445 से आवेदन किया गया था लॉटरी दिनांक 25 अप्रैल, 2006 में प्रार्थी को आवास संख्या 216 सेक्टर सी वाम्बे योजना चौखा में आवंटित हुआ था। प्रार्थी को कार्यालय आदेश 4775 दिनांक 7 मार्च, 2007 को आवंटन पत्र जारी किया गया, आवंटन पत्र की शर्त संख्या 1 में आंवटन पत्र में दर्शाये गये विकल्प अनुसार राशि एक माह में जमा करवाना अनिवार्य था। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2011 के प्रस्ताव संख्य 1 (3) में निर्णय लिय गया कि प्रार्थी द्वारा आवास की बकाया राशि 15 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत शास्ती से जमा कराना चाहता है तो दिनांक 31 अगस्त, 2011 तक अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसके तहत प्रार्थी को 314 दिनांक 8 अगस्त, 2011 को सूचनार्थ पत्र जारी किया गय एवं पुनः जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2012 के प्रस्ताव संख्या 6 बिन्दु संख्या 1 में निर्णय लिया गया कि आवंटी को आवंटन के स्वतः निरस्तीकरण रद्द कर नियमन के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को नियमन के लिए भिजवया जावे। इस संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 को राशि जमा करवाने के लिए प्राप्त हुआ है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचरार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ, तदनुसार प्रकरण अनुशंषा सहित राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए गये।

प्रस्ताव संख्या 15 :: 17 जून, 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के संबंध में।

उपायुक्त–उत्तर ने अपने पत्र कमांक 604 दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा 17 जून, 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के संबंध में निम्न अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:–

(1) ग्राम मण्डोर प्रथम व द्वितीय, पूंजला, भदवासिया, चैनपुरा, जोधपुर की कृषि भूमियों पर 17 जून, 1999 से पूर्व कुछ कॉलोनियां बसी हुई है। जिनके ले–आऊट प्लान से पूर्व की प्रकिया की

जा रही हैं चूंकि इन गांवों में राजस्व नक्शे प्रमाणित नहीं हैं, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के अनुसार राजस्व नक्शे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भौतिक सत्यापन के आधार पर कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन किया जाए। इस प्रकार की कुछ कॉलोनियों का ले–आऊट प्लान में क्षेत्रफल राजस्व जमाबंदी में अंकित क्षेत्रफल से अधिक आ रहा है, नियमानुसार अधिक क्षेत्रफल को राजकीय क्षेत्रफल माना जाता है। अतः इस प्रकार के अधिक क्षेत्रफल को राजकीय भूमि निर्धारण एवं मूल्यांकन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में अधिक क्षेत्रफल को राजकीय भूमि मानते हुए प्रति वर्गगज नियमन दर उपायुक्त के स्तर पर तय की जाकर पट्टे जारी किये जावे।

(2) प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्व में प्रशासन गांवों के संग 2010 के दौरान आबादी भूमि, सार्वजनिक उपयोग के भवनों के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण में विचाराधीन है। प्राधिकरण में इस प्रकार की भूमि के आवंटन बाबत् नियमन नहीं होने के कारण राज्य सरकार को माह जुलाई में मार्गदर्शन हेतु भेजा गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। भविष्य में राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान बाबत् भी घोषणा की गयी है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों की भूमि के हस्तान्तरण बाबत वास्ते विचारार्थ एवं निर्णय प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के लिए जारी दिशा निर्देश दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में स्थित पंचायत के नये ग्रामों में आबादी क्षेत्र जो राजस्व नक्शे में प्रदर्शित है, को 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमि ग्राम पंचायत को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवायी जानी है। अतः उक्त अनुसार प्राप्त प्रस्तावों का उक्त बिन्दु संख्या 21 के अनुसार परीक्षण कर भूमि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। हस्तान्तरण आदेश में यह स्पष्ट अंकित किया जावे कि प्रयोजन विशेष के लिए ही भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 16 :: भूखण्ड संख्या 154 दन्तोपन्त ढेगंडी नगर के संबंध में।

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2008 को भूखण्ड संख्या 154, दन्तोपन्त ढेगडी नगर नाप 25 फीट गुणा 49 फीट श्री हेमसिंह पुत्र श्री जगदीश पुनावत को आवंटन किया गया था। श्री हेमसिंह द्वारा भूख्ण्ड संख्या 154 दन्तोपन्त ढेगडी नगर की लीज डीड प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करने पर क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता से भूखण्ड की मौका रिपोर्ट एवं प्रारूप शाखा से साईट प्लान प्राप्त किये गये थे। कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं प्रारूप शाखा से प्राप्त साईट प्लान अनुसार भूखण्ड का नाप 25 फीट गुणा 49 है एवं भूखण्ड कॉनर्र का है। दन्तोपन्त ढेगडी नगर की बुकलेट के शर्त संख्या 3 के अनुसार कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी। दन्तोपन्त ढेगडी नगर योजना में आवंटित कॉनर्र भूखण्ड संख्या 23, 24, 61, 74, 103, 155, 169, 186, 17, 203, 204, 217, 218, 234, 235, 248, 249, 261, 262, 287, 288, 301, 320, 321, 340, 341, 350, 351, 392, 393, 406, 407, 419, 420, 451, 452, 464, 465, 479, 480, 494, 495, 506, 590, 591 एवं 610 की लीजडीड भूखण्ड की कीमत राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल कर पूर्व में लीज डीड जारी की जा चुकी है।

दन्तोपन्त ढेगडी नगर योजना की बुक लेट की शर्त संख्या 3 "कार्नर भूखण्ड आवंटित होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी" के अनुमोदन प्रकरण में भूख्ण्ड की कीमत राशि

की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल कर लीज डीड जारी करने की अनुशंषा हेतु प्रकरण कार्यकरी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल करते हुए लीज डीड जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: श्री राममोहन को कियोस्क आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री राजमोहन निवासी मकान न. 42 एयर फोर्स आफिसर मैस के सामने, कैलाश नगर, गली न. 02 को कियोस्क आवंटन करने बाबत् मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रेजीडेन्सी रोड़ चौराहा, अरोड़ा सर्कल के पास पूर्व में केबिन लगा हुआ था, उसी स्थान पर कियोस्क आवंटन करने की मांग की हैं। प्रार्थी को पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 20 के बिन्दु संख्या 02 में यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को अन्य जगह कियोस्क आवंटन कर आवंटित भूमि का कब्ज़ा सम्बन्धित उपायुक्त को अधिकृत किया गया था जिसके कम में प्रार्थी को रिक्त कियोस्कों की सूची के साथ पत्र ज़ारी किया गया कि उक्त सूची में से कौनसी कियोस्क आपको आवंटित की जाए, इसकी सूचना लिखित में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। लेकिन प्रार्थी द्वारा पुनः उसी स्थान पर जहां पर प्रार्थी वर्तमान में कार्य कर रहा है अथवा उसी के पास जो रिक्त जगह उपलब्ध है, आवंटित करने की मांग की है। निर्माण का खर्च भी प्रार्थी ने स्वंय अपने स्तर पर करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जारी दिशा निर्देश एवं परिपत्र वर्ष 2005 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित आकार के निर्मित कियोस्क ही आवंटन किया जा सकता है, रिक्त भूमि आवंटनीय नहीं है। अतः प्रार्थी का आवंटन निरस्त करते हुए उपायुक्त को निर्देश दिये गये कि उनके क्षेत्र में स्थित खाली कियोस्क में से ही प्रार्थी को निर्मित कियोस्क का आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: भूखण्ड संख्या 67 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के संबंध में।

भूखण्ड़ संख्या 67 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया जोधपुर का श्रीमती बीना माथुर पत्नी श्री महेश माथुर को साईज 40 गुणा 60 का दिनांक 25.04.2008 को आवंटन द्वारा दिया गया। उक्त भूखण्ड़ की राशि आवेदन पत्र के साथ 20,000/– डी.डी. नं. 266000 दिनांक 23.02.2008 का जमा करवाये गये। उक्त भूखण्ड़ आवंटन पत्र दिनांक 26.05.2008 को जारी किया गया। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड़ पर से एच.टी. लाईन निकलने के कारण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके लिखा की राशि जमा कराने में अमसर्थ है। अतः उक्त भूखण्ड़ पर से एच.टी. लाईन हटा दी गई है। प्रार्थीनी भूखण्ड़ की राशि जमा करवाने का आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड़ आवंटित दिनांक 25.04.2008 को किया गया। अतः इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रकरण को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवंटित अधिक क्षेत्रफल के संबंध में।

मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवटित भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल मौके की रिपोर्ट अनुसार बढ़ गया है। उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल बाबत् आवंटी श्रीमती मधुबाला भूखण्ड़ संख्या 139 सेक्टर ए, श्रीमती लक्ष्मीचन्द मुथा भूखण्ड़ संख्या 133 सेक्टर ए, चैनाराम भूखण्ड़ संख्या 221 सेक्टर ए, श्रीमती इन्दु बाला भूखण्ड़ संख्या 64 सेक्टर ए, श्रीमती चन्द्रकला भूखण्ड़ संख्या 65 सेक्टर ए, श्री पीराराम भूखण्ड़ संख्या 237 सेक्टर ए ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अधिक क्षेत्रफल लेने को सहमत नहीं है एवं आवंटित क्षेत्रफल के समान ही लीजडीड जारी करने का लिखा है। मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर में इस प्रकार के ओर प्रकरण है जिसमें अधिक क्षेत्रफल है एवं आवंटी जितना क्षेत्रफल का भूखण्ड़ आवंटन हुए आने की ही लीजडीड चाहता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में कतिपय भूखण्ड मौके पर नक्शे में अंकित आकार से अधिक है एवं 28 आवंटी ऐसे हैं जिन्हें अतिकमण व अन्य कारणों से कब्जा नहीं दिया जा सका है। अतः उपायुक्त व उप नगर नियोजक मौका निरीक्षण कर अधिक भूमि वाले भूखण्डों को पुनर्निधारित करें एवं अधिक भूमि में नये भूखण्ड प्रस्तावित करें तथा आवंटी को आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार पट्टा जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के आवंटन के संबंध में।

तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा लॉटरी दिनांक 25.04.2008 के द्वारा भूखण्ड़ के द्वारा भूखण्ड़ संख्या 49 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया का श्री शांती चंद लुकंड़ को आकार 40x60 का दिया गया आवंटी ने भूखण्ड़ की राशि रू 20000/–डी.डी.संख्या 003626 दिनांक 21.02.2008 को एंव 318463 रसीद संख्या 0037458 दिनांक 23.06.2008 को जमा करवायें गये आवंटी के लीज डीड वास्ते आवेदन करने पर कनिष्ठ अभियंता की मौका रिर्पोट मंगवाई गयी एंव कनिष्ठ अभियंता की मौका रिर्पोट के अनुसार मौके पर भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 367.32 वर्ग मीटर हो गया। जो आवंटित भूखण्ड़ से अधिक है। आवंटी भूखण्ड़ की लीजडीड की मांग कर रहा है। अतः आवंटित भूखण्ड़ से अधिक क्षेत्रफल 144.86 वर्ग.मी कार्यकारी समिति सक्षम निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में कतिपय भूखण्ड मौके पर नक्शे में अंकित आकार से अधिक है एवं 28 आवंटी ऐसे हैं जिन्हें अतिकमण व अन्य कारणों से कब्जा नहीं दिया जा सका है। अतः उपायुक्त व उप नगर नियोजक मौका निरीक्षण कर अधिक भूमि वाले भूखण्डों को पुनर्निधारित करें एवं अधिक भूमि में नये भूखण्ड प्रस्तावित करें तथा आवंटी को आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार पट्टा जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर चर्चा

गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या 21 (1) :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1525/1033 (पुराना खसरा संख्या 1033/740 मीन) रकबा 14 बिस्वा 1 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री निशार मोहम्मद पुत्र श्री रमजान मोहम्मद, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, चांदणा भाकर,

आवेदक श्री निशार मोहम्मद पुत्र श्री रमजान मोहम्मद, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, चांदणा भाकर, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1525/1033 (पुराना खसरा संख्या 1033/740 मीन) रकबा 14 बिस्वा 1 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार–पत्रों में किया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित स्थल पर औद्योगिक इकाई कार्यरत है। औद्योगिक इकाई में रंगाई छपाई का कार्य किया जा रहा है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार भू–उपयोग मानचित्र जोधपुर के प्रस्तावोनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थित है। सम्पर्क सडक को 60 फीट रखा जाकर प्रकरण में विचार किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में जरिये प्रस्ताव संख्या 30 (25) प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चितता की रिपोर्ट लेकर तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं पाया गया।

कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध आवेदक ने राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में अपील प्रस्तुत की। प्रकरण प्राधिकरण/नगर विकास न्यास से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 128 वीं बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2012 में प्रस्तुत हुआ। राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण को दो माह की अवधि में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में पुनः रखा जाकर प्रार्थी की सुनवाई कर स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निदेर्शित किया गया। राज्य स्तरीय समिति के निर्णय की पालना में प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2012 में रखा गया। कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय किया गया कि प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से पूर्व राजस्थान, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की राय/अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है तथा उपायुक्त – दक्षिण आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परिपत्र के संदर्भ में रास्ते की चौड़ाई संबंधी तथ्यात्मक स्थिति एवं अनुशंषा प्रस्तुत किये जाने के लिये निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व आवेदक के अधिवक्ता ने पुनः राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक सुनवाई हुई जिसका कार्यवाही विवरण अपेक्षित है लेकिन बैठक में समिति ने 30 दिवस में प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिये थे। कार्यकारी समिति के निर्णय की पालना में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पत्र क्रमांक 1239 दिनांक 16.11.12 को पत्र प्रेषित किया गया। कार्यालय पत्र के प्रत्युत्तर में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक 7694 दिनांक 27.11.12 प्रेषित कर लिखा है कि राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा किसी भी प्रस्तावित उद्योग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हो अथवा भूमि का औद्योगिक रूपान्तरण हो चुका हो, राप्रनिम से प्रदूषणरहित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है वरन् प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित करने बाबत शर्ते अधिरोपित की जाती है। अतः प्रकरण पर अग्रिम निर्णय भू–उपयोग के वर्गीकरण को ध्यान में रखकर ही किया जाना उपयुक्त रहेगा।

कार्यकारी समिति के निर्णय की पालना में सड़क की चौड़ाई 60 फीट सुनिश्चिता बाबत रिपोर्ट मंगवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर आवेदित भूखण्ड के सामने 30 फीट चौड़ी सडक है तथा पश्चिम में भूखण्ड रिक्त है आवेदित भूखण्ड में से 15 फीट यानि सड़क के मध्य से 30'–30' छोड़ते हुये सड़क की चौड़ाई 60' की जा सकती है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं आवेदक के प्रतिनिधि को सुना गया। प्रकरण में राज्य स्तरीय समिति द्वारा 30 दिवस में निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार मौके पर इकाई में रंगाई छपाई का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त–दक्षिण, निदेशक–विधि, निदेशक–आयोजना एवं क्षेत्रीय वरिष्ठ प्रबन्धक रीको की समिति द्वारा टैक्सटाईल इकाई हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं माना है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों/अन्तरिम आदेशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय भी प्राप्त की गयी जिसमें यह बताया गया है कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका में इस प्रकार का मुद्दा है तथा माननीय न्यायालय इस प्रकार के प्रदूषण के प्रति काफी गम्भीर है। अतः वर्तमान में वातावरण को प्रदूषित करने वाले भू–उपयोग परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। पत्रावली में उपलब्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी रिफ्यूजल ऑफ एप्लीकेशन फोर कन्र्सन टू ऑपरेट में भी उक्त इकाई को मान्यता नहीं दी गयी है। प्रकरण में मौके पर सडक की चौडाई भी 30 फीट है जबकि औद्योगिक प्रयोजन के लिए न्यूनतम 60 फीट चौडी सडक का प्रावधान है। अतः आवेदन खारिज करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (2) :: **ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 140/2010**

आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत ने ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 26/5 की 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/5 का जोधपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुसार भू–उपयोग ओ.सी.एफ. आरक्षित है। खसरा संख्या 26/5 मुख्य सडक पर स्थित है। गीताधाम सिटी व आवासीय योजनाओं के लगते विद्यमान व संचालित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के कम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को जरिये प्रस्ताव संख्या 6 (18) प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि, "आवेदित प्रकरण ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का है, जो प्राधिकरण स्तर पर प्रतिबंधित प्रकरणों की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।"

समिति के उक्त निर्णय के कम में प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। जिसके कम में राज्य सरकार ने जरिये पत्र कमांक प. 3 (52) नविवि/3/2012 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा ग्राम तनावडा खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

तत्पश्चात् प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2012 में प्रस्तुत किया गया जिसमें आयोजना शाखा को उक्त प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये गये थे। समिति के निर्णय की पालना में आयोजना शाखा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के चारो ओर चार दीवारी निर्मित है तथा मौके पर फैक्ट्री का निर्माण किया हुआ है तथा वर्तमान में टेक्सटाईल का कार्य चल रहा है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में कटाण का मार्ग जिसकी चौड़ाई 12' चौडा

है चल रहा है। उत्तर व दक्षिण दिशा में भूमि रिक्त है। मुख्य सड़क के मध्य बिन्दु से 50' छोड़ने के पश्चात दीवारी बनाई गई है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार संदर्भित साईट जोधपुर–सालावास सड़क पर स्थित है जिसकी जोधपुर मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट चौड़ाई है। अतः सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ना होगा एवं इसी भूखण्ड के चिपते हुये दक्षिण से मास्टर प्लान की 160 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। अतः संदर्भित भूमि में से 80 फीट भूमि उक्त प्रस्तावित सड़क हेतु छोड़ना आवश्यक होगा। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा से गुजर रहे राजस्व रास्ते की चौड़ाई 60 फीट रखा जाना उचित होगा।

कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 28 सितम्बर 2012 के विरूद्व आवेदक के अधिवक्ता ने पुनः राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील पर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 19.11.12 में सुनवाई हुई जिसका कार्यवाही विवरण अपेक्षित है लेकिन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति ने 30 दिवस में प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिये है समिति के निर्देशों की पालना में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं आवेदक के प्रतिनिधि को सुना गया। प्रकरण में राज्य स्तरीय समिति द्वारा 30 दिवस में निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में उक्तानुसार मास्टर प्लान में वर्णित भू–उपयोग ओ.सी.एफ. से औद्योगिक किये जाने बाबत राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार मौके पर इकाई में टैक्सटाईल (रंगाई छपाई) का कार्य किया जा रहा है। अन्य प्रकरणों में उपायुक्त–दक्षिण, निदेशक–विधि, निदेशक–आयोजना एवं क्षेत्रीय वरिष्ठ प्रबन्धक रीको की समिति द्वारा टैक्सटाईल इकाई हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं माना है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों/अन्तरिम आदेशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय भी प्राप्त की गयी जिसमें यह बताया गया है कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका में इस प्रकार का मुद्दा है तथा माननीय न्यायालय इस प्रकार के प्रदूषण के प्रति काफी गम्भीर है। अतः वर्तमान में वातावरण को प्रदूषित करने वाले भू–उपयोग परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अतः आवेदन खारिज करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (3) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 316/47, 316/56, 317/1 रकबा 12.61 बीघा अर्थात् 17524.24 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक मैसर्स सनसिटी स्पोटर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहूल पाराशर पुत्र श्री रोशनलाल, अमर स्पोटर्स गोल बिल्डिंग, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 74/2012

आवेदक मैसर्स सनसिटी स्पोटर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहूल पाराशर पुत्र श्री रोशनलाल, अमर स्पोटर्स गोल बिल्डिंग, जोधपुर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 316/47, 316/56, 317/1 रकबा 12.61 बीघा अर्थात् 17524.24 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से रिसोर्ट/होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार इन खसरों के पश्चिम में 30 फीट सड़क मौके पर विद्यमान है। मौके पर काफी निर्माण कर लिया गया है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है तथा मास्टर प्लान

की 80 फीट सड़क आवेदित भूमि के मध्य से प्रस्तावित है तथा 120 फीट चौड़ी सड़क आवेदित भूमि के उत्तर में प्रस्तावित है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 26 जुलाई, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाल के खसरा संख्या 316/47, 316/56 व 317/1 का कुल रकबा 15.00 बीघा भूमि में से 12.12 बीघा भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त खसरे में निर्माण प्रस्तुत ले–आऊट प्लान अनुसार पाया गया तथा मास्टर प्लान अनुसार 80 फीट रोड मुडिया (ग्रेवल सडक) बनी हुई है। उक्त खसरे की चार दीवारी की हुई है तथा उक्त खसरे की भूमि में से एच.टी. व एल.टी. लाईन नहीं है। खसरे में पहुंचने के लिए सडक बनी हुई है। खसरा संख्या 316/47, 316/56 व 317/1 के खातेदार मैसर्स सनसिटी स्पोटर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आयोजना शाखाा व उपायुक्त दक्षिण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चेक लिस्ट प्रस्तुत की है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 67 से 70 पर संलग्न है। गत बैठक में प्रकरण बाबत निदेशक–आयोजना को स्वयं जांच कर पत्रावली सचिव के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए थे किन्तु पत्रावली में निदेशक–आयोजना की कोई रिपोर्ट नहीं है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 17,524.24 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग समिति की अधिकारिता का है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान यह स्थिति स्पष्ट हुई कि प्रकरण में गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार पत्रावली में निदेशक–आयोजना की स्पष्ट जॉच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे गम्भीरता से लिया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में आवेदक के स्वामित्व एवं हैसियत के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की कुल भूमि 15 बीघा भूमि में से केवल 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि के ही भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया गया है। अतः विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–दक्षिण प्रकरण में आवेदक की हैसियत प स्वामित्व के संबंध में जांच कर स्पष्ट राय देवे एवं निदेशक–आयोजना स्वयं मौका निरीक्षण कर सडक की चौडाई एवं भू–उपयोग परिवर्तन की उपयुक्तता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट देवे तथा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (4) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 16 व 16/1 रकबा 12868.82 वर्ग मीटर भूमि का मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल से आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती उगमा देवी पत्नि स्व. श्री रामचन्द्र डागा, श्री राजकुमार लोहिया पुत्र श्री सोहनलाल एवं श्रीमती सरोज भूतडा पत्नि श्री रमेश भूतडा। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 47/2012

आवेदक श्रीमती उगमा देवी पत्नि स्व. श्री रामचन्द्र डागा, श्री राजकुमार लोहिया पुत्र श्री सोहनलाल एवं श्रीमती सरोज भूतडा पत्नि श्री रमेश भूतडा ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 16 व 16/1 रकबा 12868.82 वर्ग मीटर भूमि का मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल से आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 27 मई, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में चैयरमैन एवं सेक्रेट्री, लिगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर व मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने आपत्ति

प्रस्तुत की है। प्राप्त आपत्ति के कम में आपत्तिकर्ता को जरिये पत्र (स्पीड पोस्ट) कमांक 1033 दिनांक 20 जुलाई, 2012 द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2012 को उपायुक्त–दक्षिण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत सूचित किया। लेकिन आपत्तिकर्ता निर्धारित तिथि व समय को उपस्थित नहीं हुये तथा न ही उपस्थित नहीं होने का कारण ही अवगत कराया तथा न ही कोई और दस्तावेज/सबूत अपनी आपत्ति के संबंध में प्रस्तुत किये।

आपत्ति के संबंध में निदेशक–विधि से राय ली गयी। निदेशक–विधि की राय के अनुसार उक्त आपत्ति में प्रार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों के दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं, उक्त दृष्टान्त को वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में नहीं लागू किया जा सकता है। वर्तमान नियमों में जेडीए को भू–उपयोग परिवर्तन के अधिकार प्रदत्त है, अतः भू–उपयोग परिवर्तन, नियमों के अधीन करने में प्राधिकरण स्वतंत्र है। इसके उपरान्त गुलाब कोठारी के विभिन्न आदेशों के परिपेक्ष्य में भू–उपयोग परिवर्तन करना उचित होगा।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आसपास के क्षेत्र व मौका स्थिति को देखते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2012 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय किया गया कि निदेशक आयोजना प्रकरण की जांच कर प्रंस्तुत करे। उप नगर नियोजक व उपायुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र की जांच कर चैक लिस्ट प्रस्तुत की गई जो पत्रावली के पृष्ठसंख्या 27–30 पर संलग्न है।

निदेशक आयोजना की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर चारदीवारी बनी हुई है तथा अन्य किसी तरह का निर्माण किया हुआ नहीं है। भूखण्ड जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क से गंगाणा गांव को जाने वाली सड़क पर स्थित है उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है। प्रकरण मेले/पर्यटक सुविधा/कम्पनी स्थल से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का है। ग्रुप हाउसिंग के संबंध में तकनीकी जांच पत्रावली के पैरा संख्या 56 पर उपलब्ध है। प्रकरण पर भू–उपयोग परिवर्तन बाबत विचार किया जा सकता है। उक्त प्रयोजन से भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण स्तर पर प्रतिबंधित है। राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 12868.82 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वर्तमान भू–उपयोग मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल से भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण स्तर पर निषेध है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार को समुचित कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (5) :: ग्राम पाल धिनाणा की ढाणी में शैक्षणिक (कॉलेज) से औद्योगिक (टेक्सटाईल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

राजस्व ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु प्राप्त निम्नलिखित प्रकरणः–

क्र.सं	प्रकरण संख्या	वर्ष	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण	आवेदित क्षेत्रफल	वर्तमान भू–उपयोग

1	111	10	श्री प्रकाश बागरेचा पुत्र श्री बख्तावर मल जी निवासी 2/3, पोलो द्वितीय, पावटा, जोधपुर	खसरा संख्या 468/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1560.37 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
2	112	10	श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री रमेश जैन निवासी 2/3 पोलो द्वितीय, पावटा, जोधपर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1582.31 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
3	113	10	श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री बख्तावर मल निवासी 2/3	खसरा संख्या 292/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1672.22 वर्ग मीटर	आवासीय
4	133	10	सनसिटी होर्डिंग एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 26/28, मुम्बई व प्रशासनिक कार्यालय मार्फत अधिकृत संचालक श्री राजीव भण्डारी पुत्र श्री रूपचन्द भण्डारी ई–42, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 497 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वांशी	शैक्षणिक (कॉलेज)
5	141	10	श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1579.92 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
6	142	10	श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री सुखदेव निवासी 1प12 मधुबन कॉलोनी, जोाधपुर	खसरा संख्या 467 पाल (धिनाणा की ढाणी)	1712.33 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
7	143	10	श्री पवित्र पुत्र श्री जेठमल, श्रीमती मंजू पत्नि श्री जेठमल गुलेच्छा निवासी 269 चौथी बी रोड, सरदारपुरा	खसरा संख्या 468/1, 470 पाल (धिनाणा की ढाणी)	2469.44 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
8	144	10	श्री अनिल गोलेच्छा पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जी–73, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2523.45 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
9	145	10	श्री अनिल कुमार बोथ्रा पुत्र श्री नानक दास निवासी 218, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2322.22 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
10	146	10	श्री कल्पित बोथरा पुत्र श्री जसराज निवासी 218, नरपतनगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 467, पाल (धिनाणा की ढाणी)	1988.88 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
11	147	10	श्री गोपाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, पाल, जोधपुर	खसरा सख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1888 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
12	148	10	श्रीमती पुष्पा चुगलानी पत्नि श्री रमेश चुगलानी निवासी 1अ14 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	3607.3 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
13	149	10	श्री संदीप गोलेच्छा पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जी–73, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 468/1, 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2538.88 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
14	150	10	श्री जसराम पुत्र श्री नानक दास बोथरा निवासी 218, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2607.22 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
15	151	10	श्री ओमाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, जोधपुर	खसरा सख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1888.88 वर्गगज	शैक्षणिक (कॉलेज)
16	152	10	श्रीमती मंजू सालेचा पत्नि श्री पदम सालेचा निवासी पारख पेट्रौल पम्प के पीछे, पावटा बी रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2111.11 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
17	154	10	श्री संदीप सोलंकी पुत्र श्री नरपत चन्द निवासी 235, प्रथम फेज, सांगरिया, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	507.50 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)

18	155	10	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री मोहन राज चौपडा निवासी भगवान महावीर नगर पाल लिंक रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (निगाण की ढाणी)	1192.12 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
19	156	10	श्री राजेश डागा पुत्र श्री जवरी मल निवासी उच्चन्यालय के पास, आडा बाजार, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (निगाण की ढाणी)	451.38 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
20	157	10	श्रीमती दौलत कंवर पत्नि श्री टी. पारसमल चौधरी निवासी दवे कॉम्प्लेक्स, 144/सीएसबी बोस रोड, चैन्नई हाल निवासी पावटा पाली जोधपुर	खसरा संख्या 468/1 ग्राम पाल (निगाण की ढाणी)	2029.44 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
21	158	10	श्री कुलसुम बानो पत्नि श्री अब्दुल मजीद व श्रीमती फरजाना पत्नि श्री मोहम्मद अनवर निवासी नई सडक, जोधपुर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (निगाण की ढाणी)	1933.93 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
22	159	10	श्रीमती वीणा धनाडिया पत्नि श्री नन्दकिशोर निवासी निगाण की ढाणी, जोधपुर	खसरा संख्या 470, 467 ग्राम पाल (निगाण की ढाणी)	2129.29 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.09.12 के प्रस्ताव संख्या 13 (7) में निदेशक आयोजना की अध्यक्षता में प्रकरणों में शैक्षणिक (कॉलेज) से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत समुचित परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें उपायुक्त दक्षिण, निदेशक विधि और क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको सदस्य है। उक्त समिति की बैठक दिनांक 23 नवम्बर 2012 को आयोजित की गई। समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों में टेक्सटाईल ईकाई हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। समिति का यह भी मत है कि इन प्रकरणों के संदर्भ में क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी. आर. पुनिया को भी पत्र लिखकर राय लिया जाना उचित होगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/अन्तरिम आदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय, प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से प्राप्त राय/जवाब तथा समिति की राय को मध्य नजर रखते हुये प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। प्रदूषणनियन्त्रण मण्डल को तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिनांक 29.11.12 को पत्र प्रेषित किये जा चुके है। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.आर.पुनिया ने अपने पत्र दिनांक 03.12.12 द्वारा राय व्यक्त की है कि प्रकरण में शैक्षणिक से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन करने से प्रदूषण बढेगा तथा कानूनी समस्यायें बढ़ेगी। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका में भी इसी प्रकार का मुद्दा है तथा माननीय न्यायालय औद्योगिक इकाईयों से निकल कर नदी में जा रहे रसायनिक पानी से समस्या के प्रति काफी गंभीर है। अतः वातावरण को दूषितकरने वाले तथा कानूनी समस्या पैदा करने वाले भू–उपयोग परिवर्तन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। अतिरिक्त महाधिवक्ता का मूल पत्र अंग्रेजी में है जो कि पत्रावली में उपलब्ध है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरणों को निरस्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (6) :: **राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स, जोधपुर। प्रकरण संख्या 129/2012**

आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स, जोधपुर ने ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को दो समाचार–पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 5 बिस्वा का प्रार्थी द्वारा आवासीय से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन चाहा है परन्तु पहुँच मार्ग प्रार्थी द्वारा प्लेट टेबल सर्वे में 40 फीट चौडी सडक दर्शायी गयी है जबकि आवासीय से औद्योगिक हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु सडक कम से कम 60 फीट चौडा होना आवश्यक है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 मई, 2012 को प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 3 (43) नविवि/3/2009 दिनॉक 27 जुलाई, 2010 के मद्देनजर आवेदित भूमि में से 60 फीट सडक की चौडाई सुनिश्चित करने पर पुनः आगामी बैठक में रखा जावे। तत्पश्चात् प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.12 में पुनः प्रस्तुत हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में रखा जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2012 को रखा गया जिसमें 07 दिवस में रिपोर्ट पेश करने के निदेश दिये गये।

कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय के विरूद्व आवेदक के अधिवक्ता द्वारा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की उक्त अपील पर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में दिनांक 19.11.12 को सुनवाई हुई जिसका कार्यवाही विवरण अभी अपेक्षित है लेकिन बैठक में समिति ने 30 दिवस में प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिये है

राज्य स्तरीय समिति के निर्देशों की पालना में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में 60 फीट के चौडे सडक मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करने की शर्त पर भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (7) :: **मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, क्षेत्रफल 4530.66 वर्ग मीटर, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 143/2011**

आवेदक मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में सूचना दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको ने जरिये पत्र कमांक 7798 दिनांक 31 जनवरी, 2012 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत आपत्ति के कम में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 649 दिनांक 13

फरवरी, 2012 जारी किया गया है। जिसके कम मे रीको से प्रतिउत्तर दिनांक 29.02.12 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों का हस्तान्तरण रीको को वर्ष 1979 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत किया गया था। पत्र की प्रति भी संलग्न की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त हस्तान्तरण के पश्चात् राजस्थान इण्डस्ट्रीज एरिया आवंटन नियम 1959 में संशोधन कर नियम 12 अन्तः स्थापित किया गया था। जो कि पृष्ठ संख्या 59 पर संलग्न है। उक्त नियम–12 अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तथा रीको हस्तान्तरित क्षेत्रों में आवंटन, लीजडीड जारी करने इत्यदि हेतु रीको को अधिकृत किया गया है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग औद्योगिक आरक्षित है। भूखण्ड संख्या 4 पुलिस थाना शास्त्रीनगर के पीछे काजरी से मुख्य पाल सडक को मिलान करने वाली सडक के उत्तर दिशा में स्थित है तथा दक्षिण दिशा में मिल्कमैन कॉलोनी स्थित है। पश्चिम में भूखण्ड संख्या 3 व पूर्व दिशा में भूखण्ड संख्या 5 स्थित है तथा भूखण्ड संख्या 4 के उत्तर दिशा में रेलवे लाईन है जो बन्द है। मौके पर फैक्ट्री निर्मित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को जरिय प्रस्ताव संख्या 6 (16) प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से यह मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि ऐसा क्षेत्र जो रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है एवं रीको द्वारा भूखण्डों का आवंटन भी नहीं किया गया है ऐसे क्षेत्र में भी रीको से अनापत्ति भू–उपयोग परिवर्तन के लिए लिया जाना आवश्यक रहेगा? साथ ही प्रकरण के परीक्षण के संबंध में उपायुक्त–दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप–समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण एवं निदेशक–विधि सदस्य होंगे। उक्त उप–समिति प्रकरण के समस्त तथ्यों का प्रचलित नियमों के संदर्भ में परीक्षण करते हुए प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में राय प्रस्तुत करेगी। उक्त समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से मार्गद न चाहे जाने पर उन्होने उक्त क्षेत्र रीको द्वारा विकसित क्षेत्र नहीं होने के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निदेर्शित किया है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की भवन निर्माण स्वीकृति/भू–उपयोग परिवर्तन व अन्य कार्यो की अधिकारिता समिति की राय में रीको की नहीं होकर प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार की है। जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 81 पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा जरिये पत्र कमांक प. 3 (44) नविवि/3/2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, "...भूखण्ड यदि रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में नहीं हैं तो भू–उपयोग परिवर्तन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।" प्रकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के कम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण में रीको की आपत्ति का आधार क्या है ? इस बाबत रीको से स्थिति स्पष्ट करायी जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये। रीको को इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 994 दिनांक 29.06.12 प्रेषित किया गया।

रीको ने इस संबंध में पत्र कमांक यू. 15 ( ) 2012/ 3068 दिनांक 18 जुलाई, 2012 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया है। जिसमें अंकित किया है कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया व अन्य इण्डस्ट्रीयल एरिया उनके क्षेत्राधिकार में आते है तथा उक्त क्षेत्र रीको के प्रशासनिक क्षेत्र में है। जिसके भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में रीको द्वारा ही निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रबन्धक को पत्र दिनांक 7 जून, 2012 प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.12 में पुनः प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि वांछित अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2012 में भी रखा गया था जिसमें वांछित 07

दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में रीको द्वारा दिनांक 18.10.12 को पुनः पत्र प्रेषित करते हुये अवगत कराया है कि उक्त क्षेत्र रीको के क्षेत्राधिकार में होने के कारण बिना रीको की अनापति के कोई भू–उपयोग परिवर्तन कार्यवाही नहीं की जावे। उक्त पत्र के साथ रीको के पूर्व पत्र दिनांक 31.01.02, 29.02.12 तथा 18.07.12 की प्रति भी संलग्न की गई है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (8) :: राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकबा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोधपुर। प्रकरण संख्या 13/2012

आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोधपुर ने ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकबा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 29 मार्च, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार प्लाट संख्या 15, 16 व 17 जोधपुर से पाली जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्टेडिया आवासीय कॉलोनी जाने वाली 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है। प्लाट संख्या 15, 16 व 17 के चारों ओर चार दीवारी प्रार्थी द्वारा की गयी है। प्लाट संख्या 15, 16 व 17 का उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। जिसमें सडक की चोडाई 30 फीट चौडी दर्शायी गयी है। मास्टर प्लान में सडक की चौडाई 60 फीट चौडी आरक्षित है। प्रार्थी ने उपरोक्त तीनों प्लाट्स को आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करना चाहता है। मेरी राय के अनुसार सडक की चौडाई 60 फीट चौडी रखते हुए सेन्टर से 30 फीट – 30 फीट छोड़ते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त एवम् निदेशक–आयोजना के स्तर पर 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चिता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उक्त प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक में दिनांक 30 जुलाई 2012 व 28 सितम्बर 2012 में भी रखा गया था जिसमें सड़क की चौड़ाई सुनिश्चित न हो पाने के कारण प्रकरण लंबित रखा गया।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार संदर्भित भूखण्डों के सामने केवल 30 फीट चौड़ी सड़क है जब कि व्यवसायिक भू–उपयोग परिवर्तन हेतु 60 फीट चौड़ी सड़क आवश्यक है। अतः प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं था।

उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी को पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 21.11.12 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (9) :: श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 184/2010

श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मकान व चार दीवारी बनी हुई है। क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, जोधपुर के पत्र दिनांक 10.08.11 व 26.08.11 के अनुसार खसरा नं. 1090/740 की 36.14 बीघा भूमि रीको को आवंटित है तथा रीको के बासनी फेज द्वितीय के अन्तर्गत स्थिति विभिन्न खातेदारी भूमि पोकेट्स ,च्वबामजेद्ध के संबंध में अनापत्ति देने एवं शर्तें इत्यादि तय करने हेतु प्रकरण रीको मुख्यालय जयपुर को प्रेषित किया हुआ है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण में रीको से आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा उपायुक्त व उप नगर नियोजक की चैक लिस्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्राधिकरण की ओर से रीको को पत्र जारी किये जाने पर रीको द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के पत्र के संबंध में उन्होंने जयपुर कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है।

आवेदक ने प्रार्थना–पत्र के रूप में इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है कि रीको द्वारा इस संबंध में जो भी राशि की मांग की जावेगी, वे जमा करवा देंगे। अतः उनका प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्णय लिया जावे। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि भू–उपयोग परिवर्तन आदेश रीको कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किया जावे। प्रकरण में दिनांक 12.01.12 को भू–उपयोग परिवर्तन आदेशका गजट नोटिफिकेशन जारी है।

राज्य सरकार द्वारा जरिये पत्र कमांक प. 3 (44) नविवि/3/2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा एक अन्य प्रकरण में यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, "....भूखण्ड यदि रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में नहीं हैं तो भू–उपयोग परिवर्तन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।" गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के कम में पत्रावली कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.05.12 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि एक अन्य प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण आवेदित भूमि रीको द्वारा विकसित है अथवा नहीं? के संबंध रिपोर्ट देने हेतु उपायुक्त–दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप–समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण एवं निदेशक–विधि सदस्य होंगे।

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट सचिव को प्रेषित करेगी तथा रीको से स्पष्ट जानकारी ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहे जाने पर उक्त क्षेत्र रीको द्वारा विकसित क्षेत्र नहीं होने के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निदेर्शित किया है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की भवन निर्माण स्वीकृति/भू–उपयोग परिवर्तन व अन्य कार्यो की अधिकारिता समिति की राय में रीको की नहीं होकर प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार की है।

रीको द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 28.05.12 को पत्र भेजकर यह अवगत कराया गया उक्त आवेदित भूमि पर क्षेत्राधिकार रीको का है अतः उक्त भूमि पर कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

प्रकरण में रीको मुख्यालय जयपुर को दिनांक 14.05.12 को पत्र प्रेषित कर अनापत्ति हेतु राय मांगी गई जिसके क्रम में रीको मुख्यालय, जयपुर का पत्र दिनांक 17 जुलाई 2012 को प्राप्त हुआ जिसमें उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार सीधे प्रबन्धक रीको लि. जोधपुर से करने के निदेशहै। उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.09.12 में प्रस्तुत हुआ जिसमें 07 दिवस में रिपोर्ट देने के निदेशदिये गये। कार्यकारी समिति के निर्णय एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.10.12 के संदर्भ में क्षैत्रीय प्रबन्धक रीको द्वारा दिनांक 30.10.2012 को पत्र प्रेषित कर लिखा है कि रीको द्वारा समय समय प्रेषित पत्रों को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। उक्त पत्र के साथ रीको के पत्र दिनांक 10.08.11, 26.08.11 व 28.05.12 की प्रति संलग्न प्रेषित की गई है साथ ही लिखा है कि रीको से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया जावे।

प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक रीको लिमिटेड, मुख्यालय जयपुर को पत्र प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (10) :: **राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 मीन की 20857 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 44/2012**

आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 मीन की 20857 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 18 मई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी।

प्रकरण में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञाप्ति दिनांक 18.05.12 के संदर्भ में श्री राजेश आर्य, निवासी पाबुपूरा, जोधपुर ने स्वामित्व के संबंध में आपत्ति दर्ज की लेकिन आपत्ति के साथ प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये। आपत्ति पर विधि शाखा द्वारा राय व्यक्त

की गई कि आपत्तिकर्ता ने आपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, तथा न ही फौजदारी मुकदमे की संख्या एवं अनवान लिखे है। दस्तावेजों के अभाव में आपत्ति पर किसी भी प्रकार टिप्पणी करना संभव नहीं है तथा ऐसी आपत्ति पर विचार करना उचित नहीं होता।

स्वामित्व के संबंध में तहसीलदार व उपायुक्त (पूर्व) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर आवंदित भूमि पर स्वामित्व आवेदक का है।

प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.12 में निर्णय किया गया कि प्रकरण के संबंध में स्थानीय सैन्य मुख्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। निर्णय की पालना में रक्षा सम्पदा अधिकारी, सैन्य मुख्यालय, जोधपुर को पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 12.09.12 को पत्र प्रेषित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था लेकिन प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस सबंध में रक्षा सम्पदा अधिकारी सैन्य मुख्यालय, जोधपुर को पुनः स्मरण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 1248 दिनांक 22.11.12 द्वारा जारी किया गया। परन्तु अभी तक कोई अनापत्ति/प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (11) :: ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्ग मीटर भूमि का मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। आवेदक श्रीमती सुशीला पत्नि श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नांदडी कला, जोधपुर। प्रकरण संख्या 20/2012

आवेदक श्रीमती सुशीला पत्नि श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नांदडी कला, जोधपुर ने ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्गमीटर भूमि का मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 3 मई 2012 को सूचना प्रकाशित की गई जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल आरक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्लेन टेबल सर्वे प्लान के अनुसार भूखण्ड 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित होना बताया गया है। भूखण्ड का नाम 92 फीट 6 ईंच गुणा 190 फीट अर्थात 1632.71 वर्गमीटर है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई 2012 को प्रस्तुत हुआ जिसमें भूखण्ड के सामने 60 फीट चौड़ी सड़क की सुनिश्चितता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् प्रकरण पुनः 30 जुलाई 2012 को कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण 28 सितम्बर 2012 को कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया जिसमें निर्णय लिया गया वांछित रिपोर्ट सात दिवस में प्राप्त की जावे।

अतः उक्त प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर पत्थर कंटिग का कारखाना लगा हुआ है परन्तु बिजली का कनेक्शन नहीं किया हुआ है। भूखण्ड के सामने कच्चा रास्ता है जिसकी चौड़ाई 30 फुट है परन्तु सामने की भूमि रिक्त है। इसलिये रास्ते

के मध्य से 30'–30' फुट दोनो ओर छोड़ते हुये सड़क की चौड़ाई 60 फुट की जा सकती है यह सड़क डिगाडी से सिरियादे गांव जाने वाली मास्टर प्लान की 100 फुट चौडी सड़क से मिलती है। प्रकरण में अंकित प्रयोजन से अन्य प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने में प्राधिकरण स्तर पर प्रतिबंधित है। राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् ही भू–उपयोग परिवर्तन पर विचार सम्भव है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वर्तमान भू–उपयोग मेले/पर्यटन सुविधाएं/केम्पिंग स्थल से भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण स्तर पर निषेध है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार को समुचित कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित नवीन प्रकरण

प्रस्ताव संख्या 21 (12) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 322/2 रकबा 8093.6 वर्गमीटर भूमि का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री पूसाराम पुत्र ईशर राम जी मेघवाल, निवासी ग्राम बिरलोका जिला नागौर प्रकरण संख्या 97/2012

आवेदक श्री पूसाराम पुत्र ईशर राम मेघवाल निवासी ग्राम बिरलोका जिला नागौर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 322/2 रकबा 5 बीघा (8093.6 वर्गमीटर) भूमि का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजना भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 13.09.12 को दो दैनिक समाचार पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा आवेदित भूमि पर कोई एल.टी., एच.टी. लाईन नहीं है। आवेदित खसरा नं. 322/2 के चारों ओर आवासीय कॉलोनिया विकसित हो चुकी है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आस–पास पूर्व में भू–उपयोग परिवर्तन हो रखा है तथा पहुंच मार्ग 40 फीट का है जोधपुर मास्टर प्लान अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय हेतु आरक्षित है।

विधी शाखाा की रिपोर्ट अनुसार आवेदक के खसरा संख्या 322/2 ग्राम पाल क्षेत्रफल 8093.6 वर्गमीटर से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित होना प्रतीत नहीं होता। अवाप्ति शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 322/2 ग्राम पाल हेतु प्रकरण अवाप्ति के लिये विचाराधीन नहीं है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 8093.6 वर्गमीटर है लेकिन प्रकरण सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन का है, जो प्राधिकरण स्तर पर निषेध है जिसके लिये राज्य सरकार की पुर्वानुमति आवश्यक है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (13) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 322 रकबा 16187.2 वर्गमीटर भूमि का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री अजाराम पुत्र सालुराम जी मेघवाल, निवासी ग्राम बिरलोका जिला नागौर प्रकरण संख्या 98/2012

आवेदक श्री अजाराम पुत्र सालुराम मेघवाल निवासी ग्राम बिरलोका जिला नागौर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 322 रकबा 10 बीघा (16187.2 वर्गमीटर) भूमि का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजना भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 13.09.12 को दो दैनिक समाचार पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा आवेदित भूमि पर कोई एल.टी., एच.टी. लाईन नहीं है। आवेदित खसरा नं. 322 के चारों ओर आवासीय कॉलोनिया विकसित हो चुकी है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आस–पास पूर्व में भू–उपयोग परिवर्तन हो रखा है तथा पहुंच मार्ग 40 फीट का है जोधपुर मास्टर प्लान अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय हेतु आरक्षित है।

विधी शाखाा की रिपोर्ट अनुसार आवेदक के खसरा संख्या 322/2 ग्राम पाल क्षेत्रफल 8093.6 वर्गमीटर से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित होना प्रतीत नहीं होता। अवाप्ति शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 322 ग्राम पाल हेतु प्रकरण अवाप्ति के लिये विचाराधीन नहीं है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 16187.2 वर्गमीटर है। अतः राज्य स्तरीय समिति की अधिकारिता का है। प्रकरण में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन चाहा है जो कि प्राधिकरण स्तर पर निषेध है। अतः उक्त भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (14) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 358 रकबा 6009.49 वर्गमीटर भूमि का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री नथुराम पुत्र खीयाराम, गजरीदेवी पत्नी खींयाराम, निवासी ग्राम पाल, जोधपुर प्रकरण संख्या 104/2012

आवेदक श्री नथुराम पुत्र खीयाराम, गजरीदेवी पत्नी खींयाराम, निवासी ग्राम पाल, जोधपुर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 358 रकबा 6009.49 वर्गमीटर भूमि का सरकारी व अर्द्धसरकारी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के

संबंध में दिनांक 06 अक्टूबर 2012 को दो दैनिक समाचार पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि आवेदक एवं सायरी वगैराह की संयुक्त खातेदारी की है एवं मौके पर खाली है। सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में खसरा नं. 358 के पार्ट खसरा नं. 358/1 व 359 का भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा आवासीय में किया गया है उसके दक्षिण दिशा में स्थित है। खसरा नं. 358/1 व 359 का ले–आऊट प्लान प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फुट चौड़ी सड़क खसरा नं. 358/1 में से होकर गुजरती है इसी अनुमोदित खसरा नं. 358/1 के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 358 का शेष भाग है। जिसका आवेदन भू–उपयोग परिवर्तन के लिये किया गया है। पहुंच मार्ग अनुमोदित ले–आऊट प्लान से लगता है। जोधपुर मास्टर प्लान अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय हेतु आरक्षित है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदक के खसरा संख्या 358 ग्राम पाल क्षेत्रफल 3 बीघा 14 बिस्वा 05 बिस्वांशी (6009.49 वर्गमीटर) से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित होना प्रतीत नहीं होता। अवाप्ति शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 358 ग्राम पाल हेतु प्रकरण अवाप्ति के लिये विचाराधीन नहीं है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 6009.49 वर्गमीटर है लेकिन प्रकरण में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन का है जो प्राधिकरण स्तर पर निषेध है जिसके लिये राज्य सरकार की पुर्वानुमति आवश्यक है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (15) :: ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 126/8 रकबा 936.15 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्रीमती सुरेन्द्रा देवी पत्नी श्री राजेश भण्डारी निवासी 112 मुदित मेंशन, पाल लिंक रोड़ जोधपुर प्रकरण संख्या 116/2010

आवेदक श्रीमती सुरेन्द्रा देवी पत्नी श्री राजेश भण्डारी निवासी 112 मुदित मेंशन, पाल लिंक रोड़ जोधपुर ने ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 126/8 रकबा 936.15 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 09 सितम्बर 2010 को दो दैनिक समाचार पत्रो में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में चेयरमेन एव सेकेटरी, लीगल सोसायटी जालोरी गेट के अन्दर, मंदिर व मंस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर व खसरा नं. 126 के मोहल्लेवासियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। आपत्ति के संबंध में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक 902 दिनांक 6 अक्टूबर 2010 को आपत्तिकर्ताओं को आपत्ति के संबंध में उपस्थित होकर दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया लीगल सोसायटी द्वारा दिनांक 29.10.10 को पुन: पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 126/8 में रकबा 1119.65 वर्गगज (11.11 बिस्वा) की कृषि भूमि का स्वामित्व दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर 11.11 बिस्वा क्षेत्रफल भू–भाग पर साड़ीयां व अन्य कपड़े छपाई व रंगाई की औद्योगिक इकाई में 8 टेबलो पर रंगाई–छपाई का कार्य करवाया जा रहा है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के खसरा संख्या 126/8 ग्राम सांगरिया से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है। उपायुक्त (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 126/8 पर सभी भूखण्ड एक प्रस्तावित ले–आऊट अनुसार बने हुऐ है एवं औद्योगिक उपयोग हो रहा है, अधिकांश रंगाई छपाई ईकाई है। उक्त क्षेत्र रीको औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र होने से पर्यावरण विभाग, की माप दण्डों की पालना एवं विकास लागत के परिपेक्ष में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 126/8 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार वर्तमान भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार संदर्भित भूखण्ड के सामने 30 फीट सड़क दर्शाई है जब कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु 60 फीट सड़क आवश्यक है। अत भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। इस सबंध में कार्यालय द्वारा प्रार्थी को पत्र क्रमांक 638 दिनांक 10.02.12 द्वारा सूचित भी कर दिया गया, लेकिन कार्यालय पत्र के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.12 सचिव महोदय को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मैं अपने भूखण्ड में से अतिरिक्त 30 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग देने के लिये तैयार हूँ। प्रार्थी द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु पुनः निवेदन किया गया है।

अतः पुनः उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार " मौका देखा गया मौके पर औद्योगिक युनिट (टेक्सटाईल) कार्यरत है संदर्भित युनिट के आस–पास सभी भूखण्डों में औद्योगिक ईकाईयां कार्यरत है यह क्षेत्र सांगरिया के मिनी ग्रोथ सेन्टर से चिपता हुआ दक्षिण में स्थित है। अतः संदर्भित प्रकरण में मौके पर स्थित सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट भूमि छोड़ने एवं टेक्सटाईल युनिट हटाने की शर्त पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।"

प्रार्थी ने दिनांक 26.09.12 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि का टेक्सटाईल्स में उपयोग नहीं किया जावेगा तथा कृशि भूमि को व्यवसायिक भूमि में परिवर्तन करवाना चाहती हूँ।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आवेदक द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा टेक्सटाईल यूनिट लगाये जाने के लिए औद्योगिक उपयोग नहीं किया जावेगा और अब वे उक्त भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन करवाना चाहते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिए पुनः समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावे एवं यदि निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के विरूद्ध कोई मान्य आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तथा मौके पर टैक्सटाईल यूनिट कार्यरत् होने से पहले उसे हटाया जावे तथा नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन बाबत कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (16) :: ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी) के खसरा संख्या 468/3 रकबा 5 बीघा (8093.6 वर्गमीटर) भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती बेला सिघंल पत्नि श्री सुनिल सिघंल, श्रीमती भगवती देवी सिघंल पत्नि श्री रामप्रकाश उर्फ श्री लाल जी निवासी हरी भवन, उम्मेद भवन रोड़, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 61/2011

आवेदक श्रीमती बेला सिघंल पत्नि श्री सुनिल सिघंल, श्रीमती भगवती देवी सिघंल पत्नि श्री रामप्रकाश उर्फ श्री लाल जी निवासी हरी भवन, उम्मेद भवन रोड़, जोधपुर ने ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी) के खसरा संख्या 468/3 रकबा 5 बीघा (8093.6 वर्गमीटर) भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 28 मई, 2011 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के चारो तरफ चार दीवारी बनाई हुई। जिस पर लोहे का बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। भूखण्ड में निर्माण नहीं किया हुआ है। आवेदित भूमि के सामने 60 फट चौड़ी सड़क गुजर रही है मुख्य दरवाजे के पास दिवार से चिपती हुई 30 फुट चौड़ा रास्ता चल रहा है। आवेदित भूमि में से कोई एच.टी.एल.टी. लाईन नहीं गुजर रही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 468/3 ग्राम धिनाणा की ढाणी पाल हेतु कोई प्रकरण अवाप्ति हेतु विचाराधीन नहीं है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 468/3 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी) की 5 बीघा भूमि से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित नहीं है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा चारो तरफ बाउन्ड्री वॉल बनी हुई है। भूखण्ड तक पहुंच मार्ग 60 फुट चौडा है अतः इसी पहुंच मार्ग को आगे 60 फुट उपलब्ध करवाने की शर्त पर अर्थात उपलब्ध रास्ते के मध्य बिन्दु से 30 फुट भूमि सड़क हेतु छोड़ने की शर्त पर भू–उपयोग आवासीय से औद्योगिक किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में आयोजना शाखा व उपायुक्त द्वारा जांच कर चेक लिस्ट प्रस्तुत कर दी गई है। आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 8093.6 वर्ग मीटर है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का क्या उपयोग लिया जावेगा, इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त किया जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (17) :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1564/1 मी, 1572/1/1 मी रकबा 1180.86 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से पेट्रोल पंप प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री बंशीलाल पुत्र

पोकरराम, श्री महेन्द्र पुत्र पोकरराम, श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, श्री विकास पुत्र गुलाबचन्द निवासी नागौरियों का बास, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 117/2012

आवेदक श्री बंशीलाल पुत्र पोकरराम, श्री महेन्द्र पुत्र पोकरराम, श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, श्री विकास पुत्र गुलाबचन्द निवासी नागौरियों का बास, जोधपुर द्वारा मण्डोर के खसरा संख्या 1564/1 मी, 1572/1/1 मी रकबा 1180.86 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से पेट्रोल पंप प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके क्रम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

खसरा संख्या 1564/1 मी, 1572/1/1 मी का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। आवेदनकर्ता ने पेट्रोल पंप हेतु भू–उपयोग परिवर्तन चाहा है उपरोक्त खसरा मण्डोर से सूरसागर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। पटवारी (उत्तर) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1564/1 मी, 1572/1/1 मी का मौका स्थिति अनुसार पूर्व , उत्तर व दक्षिण में पत्थर लगे हुये है। तथा पश्चिम दिशा में दीवार बनी हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1564/1 मी, 1572/1/1 मी ग्राम मण्डोर हेतु कोई प्रकरण अवाप्ति हेतु विचाराधीन नहीं है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या खसरा संख्या 1564/1 मी, 1572/1/1 मी ग्राम मण्डोर रकबा 1180.86 वर्गमीटर की भूमि से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित नहीं है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1180.86 वर्गमीटर है। भूखण्ड से पश्चिमी तरफ भूखण्ड से 220 मी की दूरी पर बालसमंद की ओर जाने वाला इन्टरसेक्सन है तथा बालसमंद की ओर जाने वाले इन्टरसेक्शन के पश्चात 1 कि.मी. की दूरी पर छ:65 स्थित है। भूखण्ड के पूर्वी तरफ भूखण्ड से 167 मी. की दूरी पर एयरफोर्स स्टेशन जाने के लिये इन्टरसेक्शन है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–उत्तर एवं उप नगर नियोजक स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा आवश्यक चौडाई की सडक की उपलब्धता हो तो भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (18) :: ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 1 व 1/2 का रकबा 836.1 वर्गमीटर भूमि का आबादी से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक मैसर्स करणी पैलेस जरिये निदेशक प्रदीप कुमार/कलावती प्लॉट नं. 3, भैरव कॉलोनी, पृथ्वीराज नगर, झालामण्ड चौराया, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 130/2011

आवेदक मैसर्स करणी पैलेस जरिये निदेशक प्रदीप कुमार/कलावती प्लॉट नं. 3, भैरव कॉलोनी, पृथ्वीराज नगर, झालामण्ड चौराया, जोधपुर द्वारा बासनी चौहाना के खसरा संख्या 1 व 1/2 का रकबा 836.1 वर्गमीटर भूमि का आबादी से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 17 अप्रैल 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 1 व 1/2 का रकबा 836.1 वर्गमीटर की भूमि से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित नहीं है।

आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर–पाली सड़क मास्टर प्लान के अनुसार 160′ चौड़ा आरक्षित है जो अमृता देवी पार्क से झालामण्ड चौराया तक जाने वाली मुख्य सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। भूखण्ड संख्या 3 के सामने व भूखण्ड संख्या 4 के पूर्व दिशा में अस्थाई निर्माण किया हुआ है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 1 व 1/2 भूखण्ड संख्या 3 व 4 के सामने सड़क की चौड़ाई 160 फीट रखते हुये प्रकरण को समिति की बैठक में रखा जाना उचित होगा। उपायुक्त व उप नगर नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित चैक लिस्ट पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (19) :: **राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री गैनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह गहलोत साकिन लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 185/2010**

आवेदक श्री गैनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह गहलोत साकिन लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवतर्न के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 13 मार्च, 2011 को दो स्थानीय समाचार–पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) का प्रकरण है। उक्त

भूखण्ड का जोधपुर मास्टर प्लान – 2023 अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (ओ.सी.एफ.) एवँ आवासीय क्षेत्र में आरक्षित हैं।

अपर जिला कलक्टर, जोधपुर ने पत्र कमांक राजस्व/2012/864 दिनांक 9 फरवरी, 2012 द्वारा इस कार्यालय को नियमानुसार समस्त परीक्षण आदि कर विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलक्टर कार्यालय से प्रकरण का संपूर्ण परीक्षण कर विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। अतः आवेदित भूमि के स्वामित्व की जॉच करने के संबंध में उपायुक्त–उत्तर, निदेशक–विधि एवं संबंधित तहसीलदार की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति आवेदित भूमि के स्वामित्व एवँ राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये आवॅटन पत्र की शर्तो की अनुपालना की स्थिति का परीक्षण करेगी। प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति की बैठक में दिनांक 30 जुलाई 2012 में रखा गया जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में उपायुक्त–उत्तर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

आवेदित भूमि के संबध में गठित कमेटी में निदेशक विधि, तहसीलदार (उत्तर), व उपायुक्त (उत्तर) की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 21/एन से 27/एन पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार संदर्भित भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है। जिसकी मास्टर प्लान के अनुसार चौडाई 200 फीट आरक्षित है। विशेषाधिकारी (टी) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 13.08.12 द्वारा निदेश दिये गये कि इस प्रकरण को प्राथमिकता से देखते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण राज्य सरकार को अविलम्ब स्वीकृति हेतु विचारार्थ भिजवाने का कष्ट करे।

उक्त निर्देशों की पालना में कार्यालय पत्र दिनांक 14.09.12 द्वारा उपशासन सचिव तृतीय को प्रकरण में तथ्यात्मक विवरण प्रेषित किया गया। उपशासन सचिव तृतीय के पत्र दिनांक 31.10.12 द्वारा प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को निम्न बिन्दुओं पर नियमानुसार अग्रिम निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया :–

1. आवंटित भूखण्ड के 99 वर्ष की लीज डीड की शर्त संख्या 8 के अनुसार पेट्रोल पंप से होटल प्रयोजनार्थ उपयोग करने हेतु।

2. आवेदित भूखण्ड का मास्टर प्लान में उपयोग ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित होने से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु।
3. प्रकरण में उपायुक्त व निदेशक–आयोजना द्वारा हस्ताक्षरित चैक लिस्ट संलग्न नहीं है तथा इनमें से किसी अधिकारी की अभिशंषा सम्मिलित नहीं है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रकरण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निदेशक–विधि/निदेशक–आयोजना के स्तर से परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये:–

1– प्रकरण में पहले से ही प्रस्तावित भूमि वाणिज्यिक (पेट्रौल पम्प) प्रयोजनार्थ अधिकृत रूप से उपयोग में ली जा रही है। होटल प्रयोजनार्थ भी वाणिज्यिक भू–उपयोग की श्रेणी में ही है। अतः यह परीक्षण किया जावे कि क्या यह प्रकरण राजस्थान भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के

अनुसार एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देश/परिपत्रों के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन की परिधि में आता है या नहीं?,

2– प्रकरण में 99 वर्ष की लीज पर भूमि पेट्रौल पम्प प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा दी गयी है। ऐसी स्थिति में लीजकर्ता जिला कलक्टर, जोधपुर की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रचलित विधिक व नियमों के अनुसार आवश्यक है या नहीं?,

3– जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा जारी आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 के अनुसार भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है जबकि लीज डीड की शर्त संख्या 8 के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति से अन्य उपयोग में लिया जा सकता है। अतः यह परीक्षण किया जावे कि आवंटन–पत्र एवं लीज डीड में से किस पर अंकित उपरोक्त शर्त विधिक प्रभाव रखती है,

4– अन्य प्रयोजन के लिए भू–उपयोग अनुमत किया जाना है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित शुल्क आदि क्या रहेगा?

उपरोक्त बिन्दुओं पर उपायुक्त–उत्तर, निदेशक विधि, निदेशक–आयोजना एवं निदेशक–वित्त की समिति परीक्षण कर अपनी स्पष्ट राय देंगे। प्रकरण में उपरोक्तानुसार समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 (20) :: **राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 328/1, 328/2 रकबा 39578.19 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। आवेदक श्रीमती ईलकी देवी पत्नी रूपाराम व रूपाराम निवासी खाराबेरा, लूणी तहसील व जिला जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 121/2012**

आवेदक श्रीमती ईलकी देवी पत्नी रूपाराम व रूपाराम निवासी खाराबेरा, लूणी तहसील व जिला जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 328/1, 328/2 रकबा 39578.19 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 11.11.12 को दो स्थानीय समाचार–पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

सहायक नगर नियोजक द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 328/1, 328/2 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग ओ.सी.एफ. आरक्षित है। मौका स्थिति अनुसार पूर्व दिशा में एस.एस.डब्ल्यू.एस. केनाल है जो मौके पर बन्द है तथा पाईप लाईन डाली जा चुकी है। इसी नहर के सहारे–सहारे डामर युक्त सड़क बनी हुई है। इस सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 100' फुट है। इसी सड़क को नहर के सहारे–सहारे 100 फुट रखा गया है। मौके पर भूमि रिक्त है तथा आवेदित भूमि के चारो ओर चारदीवारी की गई है एक गेट बना हुआ है इसी गेट के पास एक रूम बना हुआ है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में एच.टी. लाईन गुजरती है। आस–पास आवासीय कॉलोनी काटी जा चुकी है। आवेदित भूमि का भू–उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधायें होने के कारण प्रकरण को भू–उपयोग परिवर्तन कमेटी की अनुषंशा के साथ राज्य स्तरीय कमेटी में भिजवाया जाना उचित रहेगा।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 328/1, 328/2 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित नही है। अवापि शाखा की रिपोर्ट

अनुसार ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 328/1, 328/2 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि का वर्तमान में कोई अवाप्ति का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। आयोजना शाखा व सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र जांच कर चैक लिस्ट पत्रावली में सलग्न कर दी है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा चारो ओर बाउन्ड्री वॉल बनी हुई है। उक्त संदर्भित भूमि पाली रोड़ से व्यास डेन्टल कॉलेज जाने वाली मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः केनाल बाउन्ड्री से 100 फीट सड़क छोड़ने के पश्चात् भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा साथ ही संदर्भित भूमि में से गुजर रही एच.टी. लाईन के नीचे 80 फीट चौड़ी सड़क हेतु भूमि छोड़ना उचित होगा। उक्त संदर्भित भूमि एवं दक्षिण दिशा से गुजर रही एच.टी. लाईन के बीच मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200 फीट चौड़ी बाईपास आरक्षित है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये ओ.सी.एफ. से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अनुषंशा की जाती है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण अन्य सुविधा क्षेत्र से भू–उपयोग परिवर्तन का है। जो प्राधिकरण स्तर पर निषेध है। अतः प्रकरण में सर्वप्रथम राज्य सरकार को समुचित कार्यवाही के लिए भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (21) :: **राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 465 रकबा 21448.04 वर्ग मीटर भूमि का शैक्षणिक (कॉलेज) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। आवेदक श्री भींयाराम पुत्र स्व. मंगाराम वगैराह ग्राम पाल जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 115/2012**

आवेदक श्री भींयाराम पुत्र स्व. मंगाराम वगैराह ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 465 रकबा 21448.04 वर्ग मीटर भूमि का शैक्षणिक (कॉलेज) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 07.11.12 को दो स्थानीय समाचार–पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं।

सहायक नगर नियोजक द्वारा की गई रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पाल का खसरा नं. 465 मास्टर प्लान अनुसार भू–उपयोग शैक्षणिक (कॉलेज) हेतु आरक्षित है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में स्वीकृत योजना की दीवार लगती है तथा पश्चिम दिशा में भूमि रिक्त है। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मास्टर प्लान अनुसार 100' चौड़ी सड़क लगती है जो मौके पर डामर युक्त बनी हुई है। खसरा नं. 465 के सामने आशापूर्णा एन्कलेव एक विकसित कॉलोनी है। आवेदित भूखण्ड मौके पर रिक्त है। इस आवेदित स्थल के ऊपर से कोई एच.टी./एल.टी. लाईन नहीं गुजरती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा नं. 465 रकबा 21448.04 वर्गमीटर भूमि से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित नहीं है। अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा नं. 465 रकबा 21448.04 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान में कोई अवाप्ति का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। आयोजना शाखा व सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत चैक लिस्ट पत्रावली में संलग्न है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है तथा बासनी औद्योगिक क्षेत्र से बाईपास जाने वाली 100 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः संदर्भित प्रकरण में भी सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फुट/सामने की बाउन्ड्री वॉल से 100 फुट भूमि छोड़ते हुये भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा। संदर्भित भूमि के पश्चिम दिशा से चिपता हुआ 26 फुट चौड़ा राजस्व रास्ता गुजरता है जिसे भी 80 फुट चौड़ा (मध्य बिन्दु से 40 फुट) रखा जाना उचित होगा जो आगे बाईपास से लिंक होगा। प्रकरण में आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में भू–उपयोग शैक्षणिक (कॉलेज) राज्य सरकार की अधिकारिता का होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण शैक्षणिक (कॉलेज) से भू–उपयोग परिवर्तन का है। जो प्राधिकरण स्तर पर निषेध है। अतः प्रकरण में सर्वप्रथम राज्य सरकार को समुचित कार्यवाही के लिए भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 (22) :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 212 भूखण्ड संख्या 35 ए, 35 बी, 34, 33, 1 रकबा 3853.15 वर्गगज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। आवेदक श्री महावीर कास्टिया निवासी ए–58, कमला नेहरू नगर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 123/2011

आवेदक श्री महावीर कास्टिया निवासी ए–58, कमला नेहरू नगर, जोधपुर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 212 भूखण्ड संख्या 1, 33, 34, 35 ए, 35 बी रकबा 3853.15 वर्गगज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 16 मार्च 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाल के खसरा नं. 212 में अनुमोदित ले–आऊट प्लान के अनुसार प्लॉट नं. 1, 35 बी, 35ए, 34, 33 का मौका मुआयना किया गया। ले–आऊट प्लान अनुसार प्लॉट संख्या 1 के आगे 200 फीट चौड़ाई की रोड़ पाल–सांगरिया बाईपास रोड़ के पास है तथा 200 फीट रोड़ के दोनो तरफ 75–75' फीट ग्रीन पट्टी आई हुई है। आवेदक के स्वंय व परिवार के नाम से आवासीय भूमि के पट्टे जारी किये गये प्लॉट नं. 1 के आगे 100 फीट रोड छोड़कर ग्रीन पट्टी 75 फीट में एक अन्दर जाने का भव्य गेट व चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है तथा गेट के बाई तरफ जनरेटर रूम का निर्माण किया हुआ है तथा हरी घास व बगीचा लगाये हुये है। ग्रीन पट्टी के अतिरिक्त आवासीय भूमि में बताया गयी होटल, कमरे शौचालय इत्यादि निर्माण किया हुआ है। खाली शेष भूमि में पार्क, हरी घास, पेड, पौधे लगाये हुये है। उक्त प्लॉट के अन्दर एच.टी./एल.टी. नहीं गुजर रही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाल खसरा नं. 212 में प्लॉट नं. 1, 35 बी, 35ए, 34, 33 का कुल रकबा 3221.72 वर्गमीटर से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित नहीं है। अवाप्ति शाखा की

रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाल खसरा नं. 212 में प्लॉट नं. 1, 35 बी, 35ए, 34, 33 का कुल रकबा 3221.72 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान में कोई अवाप्ति का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 212 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। खसरा नं. 212 200' फीट रास्ते पर स्थित है। इसी खसरे में प्लॉट नं. 35 बी के पश्चिम दिशा में दुकाने बनी हुई है तथा पश्चिम के अलावा उत्तर दिशा में 30 फीट रोड़ प्लॉट नं. 35 बी के उत्तर पूर्व कॉर्नर पर लगती है तथा पूर्व दिशा में प्लॉट नं. 35 ए तथा बाद में 30 फीट रोड़ है।

उक्त आवेदित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (142) नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.12 द्वारा ग्राम पाल खसरा नं. 212 में प्लॉट नं. 1, 33, 34, 35 ए, 35 बी का कुल रकबा 3221.72 वर्गमीटर का होटल प्रयोजनार्थ पुर्नगठन की स्वीकृति भूखण्ड का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने व प्रचलित भवन विनियम 2010 के प्रावधानुसार मानदण्ड लागू किये जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की है जो पत्रावली में उपलब्ध है। आयोजना शाखा द्वारा जांच कर चेक लिस्ट प्रस्तुत कर दी गई है परन्तु उपायुक्त (दक्षिण) से चैक लिस्ट प्राप्त होना शेष है।

प्रकरण में उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश कॉलम में स्पष्ट रिपोर्ट न की जाकर 'संलग्न है' मात्र का अंकन किया है जिससे निर्णय पर पहुंचने में मुश्किल रहेगी। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी में आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, जिसे हटावाया जावे तथा उपायुक्त व निदेशक–आयोजना द्वारा चैक लिस्ट परिपूर्ण करवायी जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: **निविदा सूचना के मानक प्ररूप का अनुमोदन व समस्त अभियांत्रिकी जोन में लागू करने का प्रस्ताव**

प्राधिकरण के विभिन्न अभियांत्रिक जोन में ई–टेन्डरिंग की निविदा सूचना में एक रूपता रहें, एतदर्थ 25 लाख से 100 लाख तक की निविदा सूचना व 100 लाख से अधिक की निविदा सूचना के प्रारूप कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

(वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)

(निविदा सूचना प्रारूप 25 लाख से 100 लाख तक के कार्यो हेतु)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

E-Mail Address:-

क्रमांक/ दिनांकः–

निविदा सूचना संख्याः–

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एंव राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको (निविदा पात्रता पजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम संवेदक हेतु 1/2 प्रतिशत राशि एंव अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम संवेदक हेतु 2 प्रतिशत राशि है जो बैंक ड्राफ्ट/बैकर चैक सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण में जमा करानी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

	विवरण	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	सा.नि.वि. एंव ले.नि. 331 के अनुसार
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	कॉलम सं. 1 के समान दिनांक व समय
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	कॉलम सं. 2 के समान दिनांक व समय (4 धण्टे के पश्चात)
5.	निविदा शुल्क, धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	कॉलम सं. 4 का आगामी कार्य दिवस पश्चात् की दिनांक व समय
6.	ऑनलाईन निविदा की बिड खोलने की दिनांक व समय	कॉलम सं. 5 का आगामी कार्य दिवस की दिनांक व समय
7.	वित्तिय बिड की खोलने की दिनांक व समय	

निविदा का विवरणः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत(लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि

निविदा की महत्वपर्ण शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
2. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व, जरिये डिमांड,ड्रफ्ट/बैंकर चैक से ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवष्यक है।

क्र. सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिषत	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई–टेन्डररिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/– 50 लाख से उपर 1000/–	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	M.D, RISL, JAIPUR

6. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेत मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उक्त उवधि में अपनी विविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संषोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राषि जब्त कर ली जावेगी।
7. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशसनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में काई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहॉ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रदद किया जा सकेगा।
9. आईटम सं..... के कार्य की दोष निवारण अवधि 5 वर्ष की होगी।
10. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 202 दिनांक 14.05.2012 (jodhpur jda.org पर उपलब्ध) के अनुसार उक्त निविदाओं में न्यूनतम दर के निविदादाता द्वारा से अंतर राशि के समकक्ष , परफोरमेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा कराने के पश्चात् ही स्वीकृत निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एंव बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।
12. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रू की राषि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्रफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्रफ्ट यो बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
13. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
14. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:–

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रूपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 1000

15. ई--टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश
    - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/ डाउनलोड कर सकते है।
    - निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटन सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।
    - निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नही होगा।
    - इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
    - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रानिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।
    - टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

वेबसाईट पर नही डालने योग्य:–

1. उपरोक्त प्रारूप मे सक्षम अनुमति से आवष्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
2. परफोरमेन्स सेक्योरिटी का परिपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट पर डलवायें।
3. निविदा संषोधन जारी करने की स्थिति में संषोधन डाउनलोड करने की दिनांक से न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावें।

(वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)
(निविदा सूचना प्रारूप 100 लाख से अधिक के कार्यो हेतु)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

E-Mail Address:-

क्रमांक/ दिनांकः–

निविदा सूचना संख्याः–

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एंव राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एंव दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के "एए", "ए" श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम संवेदक हेतु 1/2 प्रतिशत राशि एंव अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम संवेदक हेतु 2 प्रतिशत राशि है जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण में जमा करानी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

	विवरण	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	सा.नि.वि. एंव ले.नि. 331 के अनुसार न्यूनतम आवश्यक प्रकाशन अवधि 30 दिवस है।
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	कॉलम सं. 1 के समान दिनांक व समय
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	कॉलम सं. 2 के समान दिनांक व समय (4 घण्टे के पश्चात्)
5.	निविदा शुल्क,धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	कॉलम सं. 4 का आगामी कार्य दिवस पश्चात् की दिनांक व समय
6.	ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	कॉलम सं. 5 का आगामी कार्य दिवस की दिनांक व समय
7.	रेस्पोंसिव निविदा दाताओं की वित्तिय बिड खोलने की दिनांक व समय की सूचना निविदा दाताओं को ई–मेल से दी जायेगी। या वित्तिय बिड खोलने की दिनांक व समय (जैसा लागू हो)	

निविदा का विवरणः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत(लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
2. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणीः–

किसी भी सीमा तकः	एए श्रेणी, संवेदक
रूपये 300.00 लाख तकः	ए श्रेणी, संवेदक
रूपये 150.00 लाख तकः	बी श्रेणी, संवेदक

4. निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

5. निविदा प्रक्रियाः–

कार्य	पोटेंशियल असेसमेंट	पोस्ट क्वालीफिकेशन
सड़क	100 लाख से 500 लाख तक	500 लाख से 2000 लाख तक
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से 1000 लाख तक

6. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
7. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व, जरिये डिमांड,ड्रफ्ट/बैंकर चैक से ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र. सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई–टेन्डररिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/– 50 लाख से उपर 1000/–	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	M.D, RISL, JAIPUR

8. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेत मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उक्त उवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
10. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहॉ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
11. आईटम सं. 1 से ..... के कार्य की दोष निवारण अवधि 5 वर्ष की होगी।
12. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 202 दिनांक 14.05.2012 ;रवकीचनतरकंण्वतह पर उपलब्ध) के अनुसार उक्त निविदाओं में न्यूनतम दर के निविदादाता द्वारा से अंतर राशि के समकक्ष , परफोरमेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा कराने के पश्चात ही स्वीकृत निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एंव बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
14. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रू की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्रफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्रफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
15. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
16. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैः–

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रूपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रूपये 5000

17. ई–टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देशः–

- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/ डाउनलोड कर सकते है।
- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटन सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन विविदा दाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।
- निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नही होगा।
- इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
- कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रानिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होग।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

वेबसाईट पर नही डालने योग्यः–

1. उपरोक्त प्रारूप मे सक्षम अनुमति से आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
2. परफोरमेन्स सेक्योरिटी का परिपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट पर डलवायें।
3. निविदा संशोधन जारी करने की स्थिति में संशोधन डाउनलोड करने की दिनांक से न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावें।
4. विशिष्ट कार्यो में जहां आवश्यक हो प्री–बिड मीटिंग का प्रावधान रखा जावें।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: विकास/निर्माण कार्यों की प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर के आईटम संख्या 21, 22, 23 में संशोधन

जोधपुर विकास प्राधिकरण में अनेकानेक विकास/निर्माण कार्य चल रहे है। इन कार्यों में कार्य की साईट की आवश्यकतानुसार अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाये जाते है। यह पाया गया है कि कई बार अधिक/अतिरिक्त कार्य की राशि की स्वीकृति के पश्चात् विकास/निर्माण कार्य के व्यय की राशि निविदादाता ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी अनुसार जिस राशि तक वह निविदा दे सकता है, उससे अधिक हो जाती है। इस कारण से ऑडिट आक्षेप होने की संभावना रहती है। उपरोक्त स्थिति अर्न्तगत निम्नानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श कर निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति दी गईः–

1. कार्य आदेशित राशि पर अधिकतम 25 प्रतिशत की सीमा तक अधिक/अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किये जा सकेगे। पूर्व में निर्णित प्रकरणो में यह लागू नहीं होगा।

2. प्रतिकरण में विकास/निर्माण कार्यों की प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर के आईटम सं. 21, 22, 23 में निम्न शर्त जोड़ी जाती है :-

"In no case the tendered amount and expenditure will exceed the amount upto which the tender is qualified to tender as per his class of Registration."

उपरोक्त सीमा का उल्लंघन कर अधिक/अतिरिक्त कार्य कराने हेतु उत्तरदायी अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 24 : अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के संबंध में (जोन उत्तर-सी)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक व स्वीकृत राशि	स्वीकृत की गयी राशि एवं स्वीकृत से अनुमानित निर्धारित कार्य/सामग्री की मात्रा	अतिरिक्त कार्य/अधिक कार्य का विवरण	मूल आगणन का प्रशासनिक कार्य (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति)	अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता	कार्य में अतिरिक्त अवधि/अधि क होने का कारण	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा कितना %	स्वीकृत होने पर क्या से अनुमान अतिरिक्त/ अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए क्या अधिकार
1.	कार्य का प्रशासनिक विभाग गलती की सहायक इंजीनियर के उपरी स्वीकृत का अनुमानित मूल्य का निर्माण कार्य	JDA/A&F/T A to DE 12-13/34-36 Dated 02-05-12 Rs 24.50 Lacs	स्वीकृत की स्वीकृत से अनुसूचित राशि रु. 20.00 लाख अनुसूचित राशि रु. रु. 20.00 लाख	अतिरिक्त कार्य राशि रु. 4.50 लाख अतिरिक्त कार्य राशि रु. 4.50 लाख /सहायक अनुसार	मूल आगणन 24 -- लाख	रु. 4.50 लाख	अतिरिक्त के प्रमाण पत्र का अनुसूचित कार्य का निर्माण कार्य किस तक कार्य के अनुसूचित कार्य के रूप किया जाती पूर्ति की कार्य किस अतिरिक्त। किसके का के प्रमाण का कारण क्या प्रशासनिक व प्रमाण के प्रमाण प्रशासनिक हो।	कार्य प्रगति पर है।	कार्यालय अतिरिक्त पूर्ण के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यालयी अतिरिक्त के नहीं की गई है।
2.	कार्यालयीन भवन का विस्तार एवं निर्माण कार्य	JDA/A&F/T A to DE 12-13/ Dated 05-5-12 Rs 30.00 Lacs	स्वीकृत की स्वीकृत से अनुसूचित राशि रु. 20.50 लाख अनुसूचित राशि रु. 20.50 लाख	अतिरिक्त कार्य राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त कार्य राशि रु. 2.00 लाख /सहायक अनुसार	मूल आगणन 24 -- लाख	रु. 2.00 लाख	अतिरिक्त किस आवश्यकता के निर्माण कार्य के कारण स्वीकृत के कारण का अधिक किसका कारण के कारण के नहीं कार्य पूर्ण के निर्माण कार्य कारण।	कार्य प्रगति पर है।	कार्यालय अतिरिक्त पूर्ण के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यालयी अतिरिक्त के नहीं की गई है।

प्रस्तुत प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जी शिड्यूल में किस सामग्री की कितनी मात्रा रखी गयी थी तथा प्रस्तावानुसार सामग्री की कितनी अतिरिक्त मात्रा आवश्यक है। अतिरिक्त आईटमों का विस्तृत विवरण भी एजेन्डा नोट में अंकित नहीं किया गया है। अधिक्य/अतिरिक्त स्वीकृति के प्रस्तावों में अंकित कारण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किये है तथा जो कारण अंकित किए है उनके आधार पर शिड्यूल ऑफ पावर आधिक्य/अतिरिक्त अनुमत नहीं करती है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: 100 लाख से अधिक मूल्य की निविदा स्वीकृति के लिए एजेण्डा प्रारूप (जोन उत्तर–सी)

जोन–उत्तर–सी

रू. 100.00 लाख करोड से अधिक मूल्य की निविदा स्वीकृति के लिए एजेन्डा प्रारूप

कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि	निविदा सूचना संख्या व तिथि	प्राप्त निविदा की संख्या व सारांश	तकनीकी मूल्यांकन	प्राप्त तकनीकी राशि से सकल निविदा में निविमित्व/अंकित की अतिरिक्त भार्त (यदि कोई हो तो	न्युनतम दरदाता द्वारा पूर्वमें निष्पादित किये गये कार्य के संबंध में अनुभव एव गुणवता	निदेशक अभियांत्रिकी की टिप्पणी/स्पष्ट अनुशंषा
मंडोर क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य	रू. 147.00 लाख	उतर सी–2 /12–13	एकल निविदा 13.77 प्रतिशत बिलो	SE/42 A/12-13 Dated 10-09-12	–	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में रजिस्टर्ड है।	पत्रावली में कार्यकारी समिति बैठक के लिए अनुमोदन किया गया है।
आदित्य नगर महादेव नगर व फूलबाग क्षेत्र के सडक निर्माण कार्य	रू. 112.00 लाख	उतर सी–2 /12–13	एकल निविदा 13. 77 प्रतिशत बिलो	SE/52 A/12-13 Dated 13-09-12	–	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में रजिस्टर्ड है।	पत्रावली में कार्यकारी समिति बैठक के लिए अनुमोदन किया गया है।
पेतलाव नाडी मे विकास कार्य	रू. 147.20 लाख	उतर सी–2 /12–13	एकल निविदा 11.99 प्रतिशत एबोउ	SE/16/12-13 Dated 15-05-12	–	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में रजिस्टर्ड है।	पत्रावली में कार्यकारी समिति बैठक के लिए अनुमोदन किया गया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: जोन पश्चिम के विकास कार्यों के संबंध में।

क्र.स.	कार्य का नाम	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक व स्वीकृत राशि	स्वीकृत जी शिड्यूल एवं एच शिड्यूल के अनुसार निर्धारित कार्य/सामग्री की मात्रा	अतिरिक्त कार्य/अधिक कार्य का विवरण	कुल लागत मय प्रस्तावित कार्य	अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता	कार्य मे अतिरिक्त आईटम/होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	माचिया सफारी पार्क से किले तक सड़क निर्माण कार्य।	क्रमांक 1552 दिनांक13. 03.12 राशि रूपये 65.90 लाख	कार्यादेश राशि रूपये 70.50 लाख	अधिक कार्य राशि रूपये 6.78 लाख अतिरिक्त कार्य राशि रूपये 25.35 लाख	102.62 लाख	36.72 लाख	उक्त कार्य में किले तक पहुचने वाली सड़क का कुछ भाग कायलाना झील के भराव क्षैत्र में से गुजरता है एव उस भाग में पूर्व में पाईप कलवर्ट बना हुआ है। वर्तमान में कार्य सम्पादन हेतु संवेदक द्वारा निर्माण सामग्री का परिवहन करने पर पाइप कलवर्ट के कुशन मे सेटलमेन्ट हो गया। चूकि किले तक पहुँचने का यह एक मात्र रास्ता है, इसलिए इस भाग मे मरम्मत कार्य करवाया जाना अतिआवश्यक है एव इस भाग को मरम्मत के बिना उक्त कार्य सम्पादन करवाना एव किले

							तक पहुचना सम्भव नही है।
2	चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17 ई में स्थित श्री सारस्वत ब्राह्मण न्याति समाज के सामुदायिक भवन का शेष कार्य।	क्रमांक 20–24 दिनांक 09. 04.12 राशि रूपयें 11.55 लाख	कार्यादेश राशि रूपये 10.53 लाख	अधिक कार्य राशि रूपये 4.10 लाख अतिरिक्त कार्य राशि रूपये 18.25 लाख	28.55 लाख	17.00 लाख	जनप्रतिनिधियों व समाज के गणमान्य नागरिकों की मांग अनुसार अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुत प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जी शिड्यूल में किस सामग्री की कितनी मात्रा रखी गयी थी तथा प्रस्तावानुसार सामग्री की कितनी अतिरिक्त मात्रा आवश्यक है। अतिरिक्त आईटमों का विस्तृत विवरण भी एजेण्डा नोट में अंकित नहीं किया गया है। अधिक्य/अतिरिक्त स्वीकृति के प्रस्तावों में अंकित कारण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किये है तथा जो कारण अंकित किए हैं उनके आधार पर शिड्यूल ऑफ पावर आधिक्य/अतिरिक्त अनुमत नहीं करती है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श कर बैठक में उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अधिक व अतिरिक्त कार्य तथा बिन्दु संख्या 2 में वर्णित अधिक कार्य की राशि रूपये 4.10 लाख अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: 90 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर कार्यादेश स्वीकृति बाबत। (जोन दक्षिण बी)

जोन–दक्षिण–बी

(3)	**90 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर कार्यादेश स्वीकृति हेतु।**		
1.	कार्य का नाम	:–	श्री शनिश्चर मंदिर, परिसर में इंटरलोकिंग टाईल्स व रिपेयर एवं विद्युतीकरण का कार्य
2.	निविदा सूचना संख्या व तिथि	:–	2/2012–13 व आईटम सं. 17
3.	प्राप्त निविदा की संख्या व दिनांक	:–	9 दिनांक 17.05.12
4.	कार्यादेश जारी किये जाने मे विलम्ब का कारण	:–	इस कार्य की पत्रावली कार्यालय से गुम हो गई थी। सभी शाखाओ मे ढुढने पर भी नही मिली सर्च नोट भी जारी किया गया है। उसके पश्चात रातानाडा पुलिस थाने मे दिनांक 27.07. 12 को एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई, तत्पश्चात सामाचार पत्र दैनिक नवज्योति मे दिनांक 29.08.12 को विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई, इस कारण कार्यादेश देने मे विलम्ब रहा है।
5.	विलम्ब के लिए उतरदायी कार्मिक का विवरण	:–	कोई उतरदायी नही है।
6.	न्युनतम निविदादाता से प्राप्त दर	:–	15 प्रतिशत बिलो (बी.एस.आर. 2011)

बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति बाबत। (जोन उत्तर ए–बी

Zone- North- AB

A	संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।			
1	कार्य का नाम	:–	रामसागर हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/12-13/31-33 Dated 02-05-12 Rs 12.50 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /10/11-12/ Dt. 31-05-12 Rs 12.50 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 12.01 Lacs	(95.56 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 16.62 Lacs	(138.84 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना में अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाया जाना है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति	:–	(12.50+27.10) = Rs 39.60 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पाउर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
2	कार्य का नाम	:–	उतर जोन मे सीवर लाईन का कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/12-13/ Rs 100.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /10/11-12/ Dt. 23-03-12 Rs 100.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एव एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 110.00 Lacs	(110%)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	-	(%)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान श्रीराम कॉलोनी में सीवर लाईन डालने हेतु वार्षिक अनुबंध के तहत करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(100.00+110.00) = Rs 210.00 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
3	कार्य का नाम	:–	उतर जोन मे पेच रिपेयर का कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/12-13/ Rs 25.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एव राशि	:–	EE North / 11-12/ Dt. 23-03-12 Rs 25.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एव एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	**Rs 50.00 Lacs** पूर्व मे रू 24.73 लाख की संशोधित प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति जोन उत्तर	(50.27 %)

			सी के कार्य हेतु प्राप्त की गई। शेष रू. 25.27 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जोन उत्तर ए बी के कार्य हेतु प्राप्त की जानी है।	
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–		(%)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विभिन्न सडको पर पेच रिपेयर का कार्य शीघ्र करवाये गये पूर्व में रू. 24.73 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तहत जोन उत्तर सी के कार्यो का भुगतान किया गया। निर्देशानुसार जोन उत्तर ए बी की सडको हेतु शेष रू. 25.27 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	:–	(49.73+ 25.27) = Rs 75.00 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
4	कार्य का नाम	:–	बारली मंडावता में सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक भवन का कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/12-13/38-39 Dated 02-05-12 Rs 12.50 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /120/12-13/ Dt. 27-06-12 Rs 12.50 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 17.66 Lacs	(139.71 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 8.24 Lacs	(68.89 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	स्नानघर एवं चार दीवारी बनाया जाना प्रस्तावित है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति			
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	(12.50+26.05) = Rs 38.55 Lacs	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
5	कार्य का नाम	:–	बेलदार समाज श्मशान मडोर में टीन शेड व रूम का निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/12-13/ 29-03-12 Rs 8.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /276/12-13/ Dt. 29-03-12 Rs 8.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 11.65 Lacs	(177.05 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 2.52 Lacs	(32.98 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी को उंची करने एवं इंटरलोकिंग टाईल्स किया जाना प्रस्तावित है	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	:–	(8.00+12.31) = Rs 20.31 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	

6	कार्य का नाम	:–	घडाव आई आईटी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/11-12/ 483/27-12-11 Rs 10.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /147/12-13/ Dt. 03-07-12 Rs 10.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 17.58 Lacs	(185.63 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 14.87 Lacs	(159.38%)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी को उंची करने एवं टॉयलेट ब्लॉक इत्यादि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(10.00+ 31.75) = Rs 41.75 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
7	कार्य का नाम	:–	उतर जोन मे मिटटी भराई का कार्य वार्षिक अनुबंध	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/11-12/ Rs 100.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एव राशि	:–	EE North /48/12-13/ Dt. 30-03-12 Rs 100.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 65.56 Lacs	(76.17 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 19.48 Lacs	(20.36 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना मे अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाया जाना है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति	:–	(100.00+49.70) = Rs 149.70 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
8	कार्य का नाम	:–	नयापुरा क्षेत्र मे सडक निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/38-39/12-13/ Rs 25.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /140/12-13/ Dt. 03-07-12 Rs 25 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 103.52 Lacs	(431.86 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 6.72 Lacs	(28.03 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	प्रस्तावित सडक के आसपास की गलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण इन गलियो मे सडक निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	

	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(25.00+108.20) = Rs 133.20 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
9	कार्य का नाम	:–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलबाग मे कक्षा कक्ष बरामदा एवं अन्य कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/34-36/12-13/ Rs 20.50Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /143/12-13/ Dt. 03-07-12 Rs 20.50 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 16.04 Lacs	(68.37 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 17.40 Lacs	(88.70 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी को उंची करने एवं इंटरलोकिंग टाईल्स किया जाना प्रस्तावित है	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की सशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(20.50+ 34.15) = Rs 54.65 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
10	कार्य का नाम	:–	उतर जोन मे नाला नाली मरम्मत कार्य (वार्षिक अनुबध)	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/1343/12-13/04-12-12/ Rs 50.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /265/11-12/ Dt. 28-03-12 Rs 50.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 28.05 Lacs	(56.10 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 13.09 Lacs	(30.09 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	आयुक्त महोदय द्वारा सशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्राप्त है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(50.00+ 34.66) = Rs 84.66 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
11	कार्य का नाम	:–	राजकीय विद्यालय शिवराम नत्थुजी टाक मगरा पूजला मे हॉल एवं शौचालय का निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/1317/12-13/27-11-11/ Rs 24.50 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /36/12-13/ Dt. 03-10-12 Rs 24.50 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 11.96 Lacs	(54.91 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 2.49 Lacs	(10.62 %)

	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	आयुक्त महोदय द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्राप्त है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(24.50+ 11.74) = Rs 36.24 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
12	कार्य का नाम	:–	बासनी तम्बोलिया मे सीवर लाईन व सीसी सडक का निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/38-39/12-13/02-05-12/ Rs 15.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /133/12-13/ Dt. 027-06-12 Rs 15.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 36.43 Lacs	(294.18 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 0.84 Lacs	(5.85 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना मे अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाया जाना है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(15.00 + 34.30) = Rs 49.30 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
13	कार्य का नाम	:–	देसूरिया विश्नोईया से देसूरिया खोखरिया तक सडक निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/38-39/12-13/02-05-12/ Rs 20.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राषि	:–	EE North /102/12-13/ Dt. 26-06-12Rs 20.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 64.79 Lacs	(352.18 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 15.01 Lacs	(78.21 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	प्रस्तावित सडक के आसपास के क्षेत्र मे सुगम यातायात की दृष्टि से सडको का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	:–	(20.00 + 78.28) = Rs 98.28 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
14	कार्य का नाम	:–	पावूजी मदिर आगवण के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/31-33/12-13/02-05-12/ Rs 12.00 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एव राशि	:–	EE North /15/12-13/ Dt. 10-05-12 Rs 12.00 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एव एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	

	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 8.69 Lacs	(78.71 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 3.23 Lacs	(28.13 %)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	जनसुविधा हेतु टॉयलेट ब्लॉक एवं सुरक्षा हेतु चार दीवारी का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	:–	(12.00 + 11.92) = Rs 23.92 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	
15	कार्य का नाम	:–	नृसिंह विहार पार्क में विकास कार्य	
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व राशि	:–	JDA/A& F/TA to DA/12-13/02-05-12/ Rs 7.50 Lacs	
	तकनीकी स्वीकृत संख्या एवं राशि	:–	EE North /272/11-12/ Dt. 27-03-12 Rs 7.50 Lacs	
	स्वीकृत जी शेडयुल एवं एच शेडयुल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	:–	Deviation Statement अनुसार	
	अधिक कार्य राशि	:–	Rs 15.59 Lacs	(240.58 %)
	अतिरिक्त कार्य राशि	:–	Rs 17.16 Lacs	(238.99%)
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	:–	जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट ब्लॉक व भ्रमण पटि्टका का निर्माण जन माग अनुसार प्रस्तावित है।	
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	:–	कार्य प्रगति पर है।	
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	:–	(7.50 + 17.70) = Rs 25.20 Lacs	
	शेडयुल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	:–	कार्यकारी समिति की बैठक	

प्रस्तुत प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जी शिड्यूल में किस सामग्री की कितनी मात्रा रखी गयी थी तथा प्रस्तावानुसार सामग्री की कितनी अतिरिक्त मात्रा आवश्यक है। अतिरिक्त आईटमों का विस्तृत विवरण भी एजेण्डा नोट में अंकित नहीं किया गया है। अधिक्य/अतिरिक्त स्वीकृति के प्रस्तावों में अंकित कारण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किये है तथा जो कारण अंकित किए हैं उनके आधार पर शिड्यूल ऑफ पावर आधिक्य/अतिरिक्त अनुमत नहीं करती है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्त वर्णित तालिका के बिन्दु संख्या 1 को अनुमोदित करने, बिन्दु संख्या 2 को अनुमोदित नहीं करने, बिन्दु संख्या 3 को अनुमोदित करने, बिन्दु संख्या 4 को अनुमोदित नहीं करने, बिन्दु संख्या 5, 6, 7, 8 को अनुमोदित नहीं करने, बिन्दु संख्या 9 में मात्र अधिक कार्य राशि अनुमत करने, बिन्दु संख्या 10, 11 को अनुमत करने, बिन्दु संख्या 12 को अनुमत नहीं करने, बिन्दु संख्या 13 को अनुमत नहीं करने लेकिन कार्य को सुरक्षित स्तर पर पहुंचाने तक स्वीकृत करने, बिन्दु संख्या 14, 15 को अनुमत नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: विद्युत कार्यों के संबंध में।

विद्युत शाखा में मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ जिलाधीष कार्यालय अध्यक्ष महोदय एवं आयुक्त महोदय के माध्यम से प्राप्त विभिन्न पत्रों का विद्युतीकरण कार्यो का कार्यकारी समिति में निम्नानुसार तकमीना बनाकर वितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावना की गई है। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे:–

क्र. स	कार्य व स्थान का नाम	माध्यम से प्राप्त पत्र एवं निर्देश	राशि लाखो में	विशेष विवरण
1.	जालोरी गेट से वाया चांदसा तकीया होते हुए सोजती गेट तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	अध्यक्ष महोदय एवं उच्च अधिकारियों के निरिक्षण दौरान निर्देशो की पालना में।	248.00	ट्रॉफिक यातायात व्यवस्था सूगम, वन वे यातायात व्यवस्था करने एवं दूर्घटना से बचाव हेतु
2.	सोजती गेट से पुराने (उम्मेद) स्टेडियम तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	अध्यक्ष महोदय एवं उच्च अधिकारियों के निरिक्षण दौरान निर्देशो की पालना में।	153.00	ट्रॉफिक यातायात व्यवस्था सूगम, वन वे यातायात व्यवस्था करने एवं दूर्घटना से बचाव हेतु
4	सिविल एयरपोर्ट से बासनी बेन्दा वाया विनायकिया, शिकारगढ मैन चौराहा से बाई पास तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	115.00	नेशनल हाईवे से शहर को जोडने वाली मुख्य सड़क पर रोशनी के प्रावधान हेतु
5	एम्स् मैन गेट के सामने (क्रेशर) से श्रीजी पार्क एवं गुलाब नगर चौराहा से पाल रोड तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	सडक चौडी की जाने के कारण सडक बाधक पोल हटाने के लिये	183.00	एम्स् रोड को पाल रोड तक में सडक बाधक पोल लाईन भूमिगत करने एवं सडक चौडी करने हेतु
6	झालामण्ड पी.एच.ई.डी. ऑफिस वाया पृथ्वीराम नगर (नहर के पास) से बाई पास तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	आयुक्त महोदय व अधिक्षण अभियन्ता के निर्देशो के अनुरूप	105.00	पाली रोड का दबाव कम करने एवं एक नई सडक विवेक विहार हेतु बनाने के क्रम में
7	कुडी मेन रोड से झालामण्ड पी.एच. ई.डी. ऑफिस वाया आफरी (नहर के पास) तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	आयुक्त महोदय व अधिक्षण अभियन्ता के निर्देशो के अनुरूप	126.00	पाली रोड का दबाव कम करने एवं एक नई सडक विवेक विहार हेतु बनाने के क्रम में

निम्नांकित प्रकरण भी पेश किए हैं जिनकी स्वीकृति के लिए आयुक्त महोदय ही सक्षम है।

क्र. स	कार्य व स्थान का नाम	माध्यम से प्राप्त पत्र एवं निर्देश	राशि लाखो में	विशेष विवरण
1	रेल्वे स्टेशन से राजरणछोरदास मंदिर तक लाईनों को भूमिगत करने एवं ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट करने का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	60.00	ट्रॉफिक यातायात व्यवस्था सूगम, वन वे यातायात व्यवस्था करने एवं दूर्घटना से बचाव हेतु
2	जालोरी गेट से राजरणछोरदास मंदिर रोड वाया ऑलम्पीक एवं स्टेशन रोड पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	अध्यक्ष महोदय एवं उच्च अधिकारियों के निरिक्षण दौरान निर्देशो की पालना में।	48.00	मिडीयन बनने पर मध्य में विद्युत व्यवस्था कर सौन्दर्यकरण हेतु
3	सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न कोलोनियो में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ एवं अध्यक्ष महोदय जी से प्राप्त पत्रो	50.00	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
4	सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के पार्को में विद्युतीकरण का कार्य।	मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ एवं अध्यक्ष महोदय जी से प्राप्त पत्रो	25.00	विभिन्न पार्को में विद्युत रोशनी व्यवस्था हेतु
5	सरदारपुरा विधान सभा के मुख्य स्थानों हाई मास्ट एवं सेमी हाई मास्ट लाईटे लगाने का कार्य।	मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ एवं अध्यक्ष महोदय जी से प्राप्त पत्रो	45.00	विद्युत बचत एवं सम्पूर्ण रोशनी हेतु
6	आखलिया स्कीम में विद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय जी द्वारा श्री बाबुलाल गेहलोत	220.00	स्कीम में प्रावधान
7	आखलिया स्कीम में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	अध्यक्ष महोदय जी द्वारा श्री बाबुलाल गेहलोत	80.00	स्कीम में प्रावधान
8	शास्त्री सर्कल से एन.पी.एच. रोड एवं गंधा नाला से न्यु पावर हाऊत तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	सड़क चौडी करने के कारण पोल हटाने से वापस रोड लाईट व्यवस्था हेतु मिडीयन में पोल लगाने हेतु	50.00	सिविल शाखा द्वारा सड़क चौडी करने के कारण मिडीयन में प्रावधान
9	सालासर हेण्डलूम से पाल लिंक रोड, चौपासनी रोड से प्रताप नगर क्रोसिंग एवं ई.एस.आई. रोड पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	सड़क चौडी करने के कारण पोल हटाने वापस रोड लाईट व्यवस्था हेतु मिडीयन में पोल लगाने हेतु	90.00	सिविल शाखा द्वारा सड़क चौडी करने के कारण मिडीयन में प्रावधान

10	वार्ड नं. 1 में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था के विभिन्न कार्य।	अध्यक्ष महोदय जी से प्राप्त विभिन्न पत्र	25.00	मौका निरिक्षण से प्राप्त तकमीना एवं आवश्यकता के आधार पर
11	सबरी बाई मंदिर जाजीवाल कल्ला में विद्युतीकरण का कार्य।	मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ एवं अध्यक्ष महोदय जी	4.00	उक्त पत्र के निस्तारण एवं मांग पुर्ति हेतु
12	मसुरिया बाबा रामदेव मंदिर में विद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय जी से प्राप्त विभिन्न पत्र	26.00	सिविल शाखा द्वारा सड़क चौडी करने के कारण एवं आवश्यकतानुसार प्रावधान
13	सालावास गांव में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	अध्यक्ष महोदय जी द्वारा विधायक	45.00	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
14	ग्राम पंचायत मथाणिया में विद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	18.90	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
15	घण्टीयाल बालाजी मंदिर से गांव तक विद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	30.00	सिविल शाखा द्वारा सड़क चौडी करने के कारण उस पर विद्युत व्यवस्था हेतु
16	गंगाणी गांव, बेदलाडी भाटी की ढाणी में विद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	56.10	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
17	माधव उद्यान सावित्रि बाई फुले पार्क शमशान व माता का थान मंदिर एल.टी. लाईन को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	18.37	पार्क में विद्युत लाईन अव्यवस्थित नीची होने से दुर्घटना होने की सम्भावना को हटाने हेतु
18	विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं नारी निकेतन के पास बाधक विद्युत पोल, लाईन को भूमिगत करने एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार शिफ्ट् करने का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	12.52	सडक चौडी करने के लिये
19	जैन एन्क्लेव पाल गांव में बिद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	8.00	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
20	बाबा रामदेव नगर, बासनी तम्बोलिया में विद्युतीकरण का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	15.00	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु

21	कैरू गांव में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	15.00	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
22	बनाड़ पंचायत के विभिन्न गांव में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	25.52	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु
23	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के विभिन्न पार्को व चौराहो पर विद्युतीकरण कार्य।	अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्राप्त पत्र श्री सैयद अन्सारी एवं राजेश रामदेव	50.00	विद्युत व्यवस्था करने एवं भाराबीयो एवं जुआरियो द्वारा जमावडा को रोकना एवं बुजुर्गो के लिये वाकिग व्यवस्था व बच्चो के मनोरजन की सुविधा हेतु
24	वृद्धा आश्रम रूपाबाई का जाव में लिफ्ट एवं जनरेटर लगाने का कार्य।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशो के अनुरूप	35.00	वृद्ध लोगो की सुविधा हेतु
25	नीलामी एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये फ्लेक्स एवं हॉर्डींग बनवा कर लगवाने का कार्य।	दैनिक सरकारी कार्य।	25.00	जोविप्रा के नीलामी एवं अन्य कार्य के फ्लेक्स हॉर्डींग बनाने के लिये

अतः इस संबंध में वित्तिय एवमं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त कार्य (बिन्दु संख्या 1 से 7) अनुमादित करने का निर्णय लिया गया तथा द्वितीय तालिका में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 25 में वर्णित कार्यों के संबंध में प्रकरण पत्रावली पर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: निविदाओं के प्रकाशन के संबंध में पूर्व में जारी विवरण पत्र के बिन्दु संख्या 4 व 5 में संशोधन बाबत।

क्र. सं.	पूर्व मे			प्रस्तावित		
1	क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत	अवधि	क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत	अवधि
	4	10 लाख रूपये से अधिक किन्तु 200 लाख रूपये तक	30	4	10 लाख रूपये से अधिक किन्तु 100 लाख रूपये तक	15

	5	200 लाख रूपये से अधिक किन्तु 500 लाख रूपये तक	30	5	100 लाख रूपये से अधिक किन्तु 500 लाख रूपये तक	30

उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में वर्णित अवधि पी.डब्ल्यू.एफ.आर. के अनुसार ही है, जिसे लागू किया जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में वर्णित अवधि मात्र निर्माण कार्यों के संबंध में ही लागू होगी।

प्रस्ताव संख्या 31 :: अतिरिक्त/अधिक आईटम की स्वीकृति के संबंध में। (जोन दक्षिण–ए)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक व स्वीकृत राशि	स्वीकृत जी शिड्यूल एवं एच शिड्यूल के अनुसार निर्धारित कार्य/सामग्री की मात्रा	अतिरिक्त कार्य/ अधिक कार्य का विवरण	कुल लागत मय प्रस्तावित कार्य (संशोधित कुल वित्तिय स्वीकृति)	अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता	कार्य में अतिरिक्त आईटम/ अधिक होने का कारण	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है	शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/ अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बासनी गांव में सड़क एवं सीवर लाईन का कार्य।	E.C. की बैठक दिनांक 17.08.2012 राशि रू. 189.38 लाख	स्वीकृत G-Schedule अनुसार कार्यादेश राशि रू. 189.38 लाख	अतिरिक्त कार्य रू. 74.80 लाख अधिक कार्य रू. 41.08 लाख	300.85 लाख	111.47 लाख	मौके की स्थिति, क्षेत्र के नागरीको की मांग, पूर्व विधायक श्री जुगल काबरा की अनुशंषा एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप अतिरिक्त/अधिक आईटम किया जाना प्रस्तावित है।	कार्य प्रगति पर है।	कार्यकारी समिति (E.C.)
2	मधुबन हाऊसिंग बोर्ड में स्थित लक्ष्मी विहार में डामरी करण का कार्य।	क्रमांक 1001–1004 दिनांक 20.03.12 राशि रू. 25.00 लाख	स्वीकृत G-Schedule अनुसार कार्यादेश राशि रू. 25.00 लाख	अतिरिक्त कार्य रू. 68.94 लाख अधिक कार्य रू. 7.44 लाख	102.26 लाख	76.38 लाख	जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 19.10.2012 के प्रस्ताव सं. 7 व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में क्रमश जालोरी गेट से ओलम्पिक रोड तक सडक निर्माण एवं रिवितया भैरू जी चौराहा से शताब्दी चौराहा पाली रोड तक पेच रिपेयर कार्य करवाया गया।	कार्य पुर्ण हो चुका है।	कार्यकारी समिति (E.C.)

3	वार्ड सं. 26 डी. डी.पी. नगर में सडक व सीवर लाईन का कार्य।	रू. 39. 00लाख	स्वीकृत G-Schedule अनुसार कार्यादेश राशि रू. 33.69 लाख	अतिरिक्त कार्य रू. 31.98 लाख अधिक कार्य रू. 1.45 लाख	65.55 लाख	26.59 लाख	मौके की स्थिति, क्षेत्र के नागरीको की मांग, पूर्व विधायक श्री जुगल काबरा की अनुशंषा एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप अतिरिक्त/अधिक आईटम किया जाना प्रस्तावित है।	कार्य प्रगति पर है।	कार्यकारी समिति (E.C.)
4	वार्ड सं. 26 में मधुवन कॉलोनी के सेक्टर 1,2,3,4 में सार्वजनिक पार्क का विकास कार्य।	51.00 लाख	स्वीकृत G-Schedule अनुसार कार्यादेश राशि रू. 42.20 लाख	अतिरिक्त कार्य रू 47.07 लाख अधिक कार्य रू. 18.50 लाख	107.77 लाख	56.00 लाख	मौके की स्थिति, क्षेत्र के नागरीको की मांग, पूर्व विधायक श्री जुगल काबरा की अनुशंषा एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप अतिरिक्त/अधिक आईटम किया जाना प्रस्तावित है।	कार्य प्रगति पर है।	कार्यकारी समिति (E.C.)
5	पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में स्थित महाराणा पार्क परिसर में हॉल का निर्माण कार्य।	18.00 लाख	स्वीकृत G-Schedule अनुसार कार्यादेश राशि रू. 16.66 लाख	अतिरिक्त कार्य रू. 53. 01 लाख अधिक कार्य रू. 39.26 लाख	108.93 लाख	90.93 लाख	मौके की स्थिति, क्षेत्र के नागरीको की मांग, अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो कें अनुरूप अतिरिक्त/अधिक आईटम किया जाना प्रस्तावित है।	कार्य प्रगति पर है।	कार्यकारी समिति (E.C.)

प्रस्तुत प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जी शिड्यूल में किस सामग्री की कितनी मात्रा रखी गयी थी तथा प्रस्तावानुसार सामग्री की कितनी अतिरिक्त मात्रा आवश्यक है। अतिरिक्त आईटमों का विस्तृत विवरण भी एजेण्डा नोट में अंकित नहीं किया गया है। अधिक्य/अतिरिक्त स्वीकृति के प्रस्तावों में अंकित कारण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किये है तथा जो कारण अंकित किए हैं उनके आधार पर शिड्यूल ऑफ पावर आधिक्य/अतिरिक्त अनुमत नहीं करती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्त तालिका में वर्णित बिन्दु संख्या 1 में अधिक कार्य राशि रूपये 41.08 लाख रूपये, बिन्दु संख्या 2 को अनुमत करने, बिन्दु संख्या 3 में अधिक कार्य राशि रूपये 1.45 लाख, बिन्दु संख्या 4 में वर्णित अधिक कार्य राशि रूपये 18.50 लाख एवं बिन्दु संख्या 5 में वर्णित कार्य अनुमत नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: निविदा स्वीकृति के संबंध में। (जोन दक्षिण–ए)

S.No.	DESCRIPTION OF WORK	SANCTION AMOUNT		NIT NO AND DATE	NO OF RECEIVED NIT AND DETAIL	TECHNICAL EVALUATION REPORT	EXTRA CONDITIONS	EXPERIENCE OF SUCESSFUL BIDER AND QUALITY CONTROL	REMARKS OF DIRECTOR ENGINEERING
		A&F	T.S						
1	विवेक विहार योजना में निर्मित डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों पर (60' से 160' चौडी सड़कों) पर डामरीकरण का कार्य।	40 lacs +697 lacs=737 lacs	40 lacs +697 lacs=737 lacs	जोन –दक्षिण "ए"/3/2012–13 28.09.2012	Only four bidder(M/s Mundan cons.comp.,M/s Chagni Ram gehlot, M/s B.P.choudhary, M/s Jai Bharat con. Comp) who participated.In which **M/s Chagni Ram gehlot was lowest (T.P 3.99% above BSR 2011 and 15.98% Below BSR 2012)**	Attached in file	Nil	Attached in file	May be Approved
2	विवेक विहार योजना (Sector-A,B,C,D & E) के अन्तर्गत पार्क, कम्युनिटी सेन्टर की चार दीवारी का कार्य।	279.50 lacs	279.50 lacs	जोन–दक्षिण "ए"/3/2012–13 28.09.2012	Only two bidder M/s.Chagni Ram Gehlot and M/S Nagaram Parmar Jodhpur who participated. in which**M/S Nagaram Parmar was lowest(T.P 10% below BSR 2011)**	Attached in file	Nil	Attached in file	May be Approved
3	विवेक विहार योजना के विभिन्न सेक्टरो में शेष रही डब्लू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य (30' - 40' Wide)	174 lacs	174 lacs	जोन –दक्षिण "ए"/3/2012–13 28.09.2012	Only one bidder who participated. **M/s. Nagaram Parmar**, Jodhpur who participated in which **M/s. Nagaram Parmar was lowest (T.P 17.11% belowBSR 2011)**	Attached in file	Nil	Attached in file	May be Approved
4	विवेक विहार योजना सेक्टर अशोकचक्र – छह के अन्तर्गत पार्क, कम्युनिटी सेन्टर की चार दीवारी का कार्य।	271 lacs	271 lacs	जोन–दक्षिण "ए"/3/2012–13 28.09.2012	Only one bidder M/s.Raj contractor and transporter, Jodhpur who participated. in which **M/s Raj contractor and Transporter was lowest (T.P 10% below BSR 2011)**	Attached in file	Nil	Attached in file	May be Approved

5	विवेक विहार योजना की शेष रही मुख्य सड़क का निर्माण कार्य मय डामरीकरण का कार्य। (रामदेव मंदिर)	378 lacs	378 lacs	जोन–दक्षिण "ए"/3/2012–13 28.09.2012	Only three bidder,M/s Chagni Ram gehlot, M/s B.P.choudhary, M/s Jai Bharat con. Comp) who participated.In which **M/s Chagni Ram Gehlot was lowest (T.P 3.75 above BSR2011 and 14.23% Below BSR 2012)**	Attached in file	Nil	Attached in file	May be Approved
6	CONSTRUCTION OF APPROCH ROAD FROM KAKANI BUS STAND MAIN PALI ROAD TO SALAWAS	250 lacs	250 lacs	जोन–दक्षिण "ए"/5/2012–13	Only three bidder,M/s Jambeshwar, M/s Amar Ent., M/s Om and Comp) who participated.In which **M/s Jambashwar ent.was lowest (T.P 1.01% above BSR2011 and 17.26% Below BSR 2012)**	Attached in file	Nil	Attached in file	May be Approved

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: भदवासिया रेलवे फ़ाटक सी–7 पर चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण (प्रोविजनल डेविएशन स्टेटमेंट)

(A)	प्रसाशनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रु. 3500.00 लाख
(B)	कार्यदेश राशि	रु. 2744.00 लाख
(C)	कार्यकारी एजेन्सी	मैसर्स राकेश कंसट्रक्शन मेहसाना
(D)	कार्य की वर्तमान स्थिती	कार्य प्रगति पर, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण

पूर्व में प्राधिकरण की कार्य समिति की बैठक दिनांक 17/02/2012 में प्रस्ताव सं. 2, क्र.सं. 7 के अन्तर्गत निम्नानुसार कालम संख्या 4 व 5 में अंकित स्वीकृति जारी की गई थी।

S.N	Particulars	As per Sch G (Cr)	Earlier approved		Now proposed		Prop. Saving	Remarks
			Excess	Extra	Excess	Extra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Part A – Bridge Portion	13.29			2.67	2.64	2.97	Due to increase in steel of sub-structure (which was under estimated),cast in-situ girders & Pile cap etc.
	Part A- Items without T.P	-	2.24	-		1.63*	-	Due to Pile foundation
2	Part B - Approaches	1.67			-	-	0.23	
3	Part C- Road	2.62	1.39	1.58	0.02	0.11	0.17	

	work							
4	Part D – Building work	0.59			1.17	0.86	0.02	Due to additional works in Raodways/mandi
	Part D- Items Without TP	-			-	0.01*	-	
5	Part E – Electric Works	1.11			0.02	0.12	-	Due to shifting of Generator & Transformer from location of P7 & P8 in Raodways.
	Total	19.28	**3.63**	**1.58**	3.88	5.37	3.39	
	Add TP @ 23.21% (Excl.without TP work)	4.47	-	-	0.90	0.86	0.78	
	Total	23.75	**3.63**	**1.58**	4.78	6.23	4.17	
6	Part F – H Schedule	3.69	-	-	0.30*	0.02*	-	Due to required area of RE walls
	Total	27.44	**3.63**	**1.58**	**5.08**	**6.25**	**4.17**	
	Total cost	27.44+3.63+1.58 =32.65			27.44+5.08+6.25-4.17 = 34.60			

प्राधिकरण द्वारा आर.ओ.बी. भदवासिया की डिजाइन एवं ड्राइंग हेतु नियुक्त कंसलटेंट द्वारा पुल के नींवो में ओपन फाउंडेशन एवं पाइल फाउंडेशन प्रस्तावित एवं अनुमोदित की गई है। पुल निर्माण में 21 खम्बों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कंसलटेंट द्वारा मृदा परिक्षण एवं भार वहन क्षमता परिक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित 21 खम्बों में से 5 खम्बों में ओपन फाउंडेशन एवं में 16 खम्बों में पाइल फाउंडेशन का कार्य प्रस्तावित है।

Soil Investigation Report के आधार पर पुल की फाउंडेशन डिजाइन में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण निर्माण हेतु नये आइटमों को सम्मिलित किया गया है। इन आइटमों का पूर्व में स्वीकृत तकमीने एवं जी शेड्युल में समावेश नहीं किया था जा सका था। अतः परिवर्तीत डिजाइन के अनुसार नये अतिरिक्त एवं आधिक्य आइटम बनाये गये है। इन आइटमों में पाइल निर्माण, गर्डर निर्माण, रोडवेज वर्कशाप एवं डीपों में शिफ्टींग एवं नवीन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न आइटमस अतिरिक्त/आधिक्य कार्य के रूप में सम्मिलित है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर इस कार्य का Provisional Deviation Statement तैयार किया गया है जिसमें कुल आधिक्य लगभग रु 5.08 करोड एवम्, अतिरिक्त काय लगभग रु. 6.25 करोड एवं बचत लगभग रु. 4.17 करोड अनुमानित है एवं कार्य की कुल लागत लगभग रु. 34.60 करोड आने का अनुमान है जो कि पूर्व स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति की परीधि में ही है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: पाल, पाली रोड विकास कार्य जलापूर्ति पाईप लाईन शिफ्ट करने के कार्य की बकाया डिपोजिट राशि के भुगतान के संबंध में।

अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी नगर वृत, जोधपुर ने अपने पत्र कमांक अअ/नवृत/अके. I/2012–13/10065 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 द्वारा विभाग द्वारा करवाये गये पाल, पाली रोड विकास कार्य जलापूर्ति पाईप लाईन शिफ्ट करने की बकाया डिपोजिट राशि के भुगतान की मांग की है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति अंकित करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) :: **तिलक नगर प्रथम भदवासिया की सड़क एवं महामंदिर पोल से भदवासिया स्कूल तक सड़क सुद्धढ़ीकरण कार्य एवं भदवासिया रेल्वे फाटक से महामंदिर पुलिस थाना होते हुए सी–रोड़ अन्डर ब्रिज तक सड़क मरम्मत कार्य की अतिरिक्त स्वीकृति। (कार्य का नाम भदवासिया रेल्वे क्रोसिंग से जयपुर रोड़ तक वाया माता का थान सड़क एवं नाला निर्माण का शेषकार्य (रिस्क एण्ड कोस्ट) Agg No. F38(6)2011-12/North.)**

उपरोक्त सन्दर्भित विषयानुसार माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जोधपुर यात्रा 06.02.2012 से 08.02.2012 देखते हुए दिनांक 31.01.2012 को अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय द्वारा भदवासिया क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान तिलक नगर प्रथम भदवासिया की सड़के एवं महामंदिर तिसरी पोल से भदवासिया स्कूल तक सड़क सुद्धढ़ीकरण कार्य का Agg No. F38(6)2011-12/North के साथ करवाने के निर्देश प्रदान किए गये। उक्त कार्य की प्रस्तावित लागत 68.82.00 लाख थी। उक्त कार्य को करवाने के लिए कुल रु. 58.40.00 लाख की लागत आयी।

1– भदवासिया रेल्वे फाटक से महामंदिर होते हुए सी–रोड़ अन्डर ब्रिज तक सड़क का दिनांक 06.03.2012 से 20.03.2012 निरीक्षण किया गया एवं भदवासिया फाटक पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने कारण रेल्वे फाटक के बन्द होने की स्थिति में भदवासिया रोड़ का यातायात उक्त सड़क मार्ग से गुजरेगा। उक्त सड़क के सुद्धढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य को भी Agg No. F38(6)2011-12/North के साथ करवाने के निर्देश एवं स्वीकृति दिनांक 21.03.2012 को अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्य की प्रस्तावित लागत 50.00 लाख थी। उक्त कार्य को करवाने के लिए कुल रु. 37.31 लाख की लागत आयी।

अतः उक्त कार्य दोनों कार्यों की कुल लागत रु. (58.40+37.31) = 95.71 लाख की स्वीकृति Agg No. F38(6)2011-12/North तहत प्रदान करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।Agg No. F38(6)2011-12/North के कार्य की कुल वित्तीय स्वीकृति 1250.00 लाख है। अतः अतिरिक्त A&F की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

2255-86

24/12/12

कमांक/बैठक/2012/EC/1802-IV/2255-86 दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर – वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. .....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

2255-86

24/12/12

परिशिष्ट–1

दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रातः 11.30 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री एम.आर. विश्नोई, अधीक्षण अभियन्ता (सी.सी.), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2.	श्री ओ.पी. बैरवा, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
3.	श्री एम.एस. रावल, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री करणीसिंह, सहायक आयुक्त–पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
7.	श्री इन्दाराम मेघवंशी, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री विशाल दवे, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री भैरूसिंह, सहायक पर्यटक अधिकारी, जोधपुर
10.	श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री राकेश शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री बंशीलाल प्रजापत, वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री नवरतन लाल गहलोत, कार्यवाहक अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर